मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

वर्ष : 24 अंक : 08 अप्रैल 2025

बिन पानी सब सून...

भारत में जलस्त्रोतों का 'सूखा'

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मो. 98260-64596, मो. 9893014600

फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक

विजया पाठक द्वारा जगत प्रिंटर्स पब्लिशर्स, खसरा नं. 1/1/6 अमरावद खुर्द बरखेड़ा पठानी, फंदा भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 25 अंक 08 अप्रैल 2025

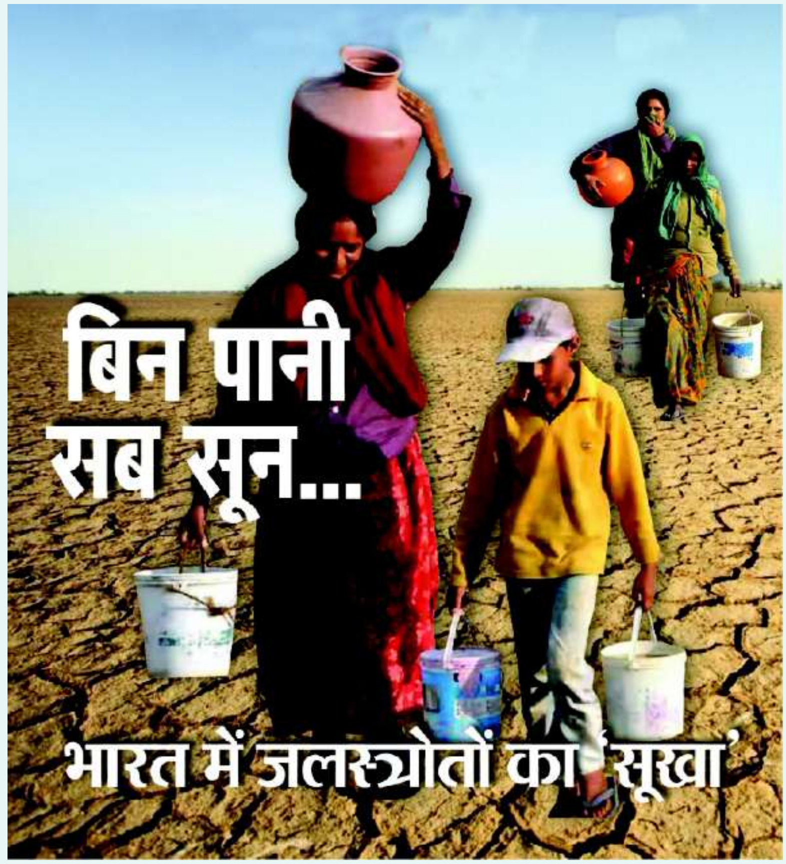

(पृष्ठ क्र.-6)

- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर मुख्यधारा में लौट रहे नक्सलवादी 34
- गरीबों का अपना आदमीः डॉ. राम मनोहर लोहिया 40
- मुस्लिम आरक्षण का खेल खेलती कांग्रेस 43
- वक्फ पर बवाल 46
- As Jharkhand turns 24, a reason to celebrate and a reality check 62

भारतीय जनता पार्टी

ट्रंप का टैरिफ : भारत बनाम अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप ने भारत सहित ज्यादातर देशों पर टैरिफ शुल्क बढ़ा ही दिया। न्यूनतम 10 प्रतिशत, अधिकतम 49 फीसदी। इसके साथ ही धमकी भी दे दी। अमेरिका के खिलाफ कोई भी देश प्रतिक्रिया न दें। नहीं तो खैर नहीं। अब इसका असर दुनिया पर कितना और कैसे पड़ेगा। यह आने वाला समय बताएगा। ट्रंप ने तो अपना फैसला सुना दिया। अब बारी बाकी देशों की है। बाकी देशों का अगर पलटवार ज्यादा तीखा हुआ तो टैरिफ वॉर के परिणाम ज्यादा गंभीर होंगे। सच यह है,यह घटना उतनी सीधी नहीं है जितनी अभी दिखाई दे रही है। अगर जल्दी ही कुछ हल नहीं निकला तो अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेंगे। मंहगाई से लेकर बेरोजगारी और मंदी यहां तक कि महामंदी की भी बात विशेषज्ञ कर रहे हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि अमेरिका वैश्विक व्यापार नीति तय करे और पूरी दुनिया चुपचाप बैठी रहे। यह संभव नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन, कनाडा, मेक्सिको, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड और बांग्लादेश सहित कई एशियाई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने से भारत के लिए वैश्विक व्यापार और मैन्यूफैक्चरिंग में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिला है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति भारत के लिए कई अवसर पैदा कर सकती है।

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड भागीदार है। अपने कुल निर्यात का छठवां हिस्सा अमेरिका को भेजता है। सन् 2023 में 190 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच हुआ। भारत पर ट्रंप ने 26 फीसदी का टैरिफ लगाया है। जो यूरोपीय संघ से ज्यादा लेकिन चीन से कम है। राहत की बात दवा कंपनियों के लिए है। इन्हें फिलहाल टैरिफ से बाहर रखा गया है। अरबिंदो फार्मा जैसी जैनरिक कंपनियों के लिए फायदेमंद है। लेकिन ऑटो टैरिफ से गाड़ियों और पार्ट्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। टैरिफ किसी न किसी रूप में हमारे निर्यात के 78.5 बिलियन डॉलर को प्रभावित करेंगे। भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है। भारत ने बोरबान व्हिस्की पर शुल्क 150 प्रतिशत से घटाकर 100 फीसदी कर दिया है। बड़ी मोटर साइकिलों पर 50 प्रतिशत से घटाकर 30 फीसदी कर दिया है। बादाम और क्रेनबेरी जैसे कई उत्पादों पर टैरिफ कर करने का प्रस्ताव भारत ने दिया है। उर्जा और रक्षा सौदों के लिए भी भारत तैयार है। भारत के लिए यह अवसर भी है। इसकी वजह 140 करोड़ लोगों का उपभोक्ता आधार है। भारत में बना सामान भारत में ही खप जाता है। इसलिए भारत पर इसका सीमित असर पड़ने की संभावना है। भारत के खिलाफ अमेरिका की सबसे बड़ी शिकायत कृषि उत्पादों पर ज्यादा कर है, जो औसतन 113 प्रतिशत है। कई सामान पर 300 फीसद तक है। अमेरिका कृषि उत्पादों पर टैक्स छूट चाहता है पर भारत इसके लिए तैयार नहीं है। अगर अन्य देशों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी तब ट्रेडवॉर छिड़ना तय है। सबसे बड़ी समस्या आपूर्ति श्रृंखला के लिए खड़ी होगी। ऐसे में अराजकता फैलने का डर है। ग्लोबल दुनिया की जगह द्विपक्षीय व्यापार समझौते होंगे। नतीजा, जीडीपी में सिकुड़न दिखाई देगी। जिसका नतीजे बढ़ती बेरोजगारी के रूप में सामने आएगा। अंत में मंदी का खतरा बढ़ सकता है।

विजया पाठक

बिन पानी सब सून...

भारत में जलस्त्रोतों का 'सूखा'

जल, मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिये एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल ग्रामीण और शहरी समुदायों की स्वच्छता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि कृषि के सभी रूपों और अधिकांश औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं के लिये भी आवश्यक है। परंतु विशेषज्ञों ने सदैव ही जल को उन प्रमुख संसाधनों में शामिल किया है जिन्हें भविष्य में प्रबंधित करना सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत एक गंभीर जल संकट के कगार पर है। मौजूदा जल संसाधन संकट में हैं, देश की नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, जल संचयन तंत्र बिगड़ रहे हैं और भूजल स्तर लगातार घट रहा है। इन सभी के बावजूद जल संकट और उसके प्रबंधन का विषय भारत में आम जनता की चर्चाओं में स्थान नहीं पा सका है। जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती, जीवन के सभी कार्यों का निष्पादन करने के लिये जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध एक बहुमुल्य संसाधन है जल, या यूं कहें कि यही सभी सजीवों के जीने का आधार है जल। धरती का लगभग तीन चौथाई भाग जल से घिरा हुआ है, किन्तु इसमें से 97 प्रतिशत पानी खारा है जो पीने योग्य नहीं है, पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3 प्रतिशत है। इसमें भी 2 प्रतिशत पानी ग्लेशियर एवं बर्फ के रूप में है। इस प्रकार सही मायने में मात्र 1 प्रतिशत पानी ही मानव के उपयोग हेतु उपलब्ध है। नगरीकरण और औद्योगिकीरण की तीव्र गति व बढ़ता प्रदूषण तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है देश के कई हिस्सों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। प्रतिवर्ष यह समस्या पहले के मुकाबले और बढ़ती जाती है, लेकिन हम हमेशा यही सोचते हैं बस जैसे तैसे गर्मी का सीजन निकाल जाये बारिश आते ही पानी की समस्या दूर हो जायेगी और यह सोचकर जल सरंक्षण के प्रति बेरूखी अपनाये रहते हैं। विश्व आर्थिक मंच का ऐसा मानना है कि आगामी वर्षो में जल संकट की समस्या और अधिक विकराल हो जाएगी। इसी संस्था की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दुनिया भर में 75 प्रतिशत से ज्यादा लोग पानी की कमी की संकटों से जूझ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 86 फीसदी से अधिक बीमारियों का कारण असुरक्षित व दूषित पेयजल है। वर्तमान में करीब 1600 जलीय प्रजातियां जल प्रदूषण के कारण लुप्त होने के कगार पर हैं, जबकि विश्व में करीब 1.10 अरब लोग दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं और साफ पानी के बगैर अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति सरकार और आम जनता दोनों के लिए चिंता का विषय है। इस दिशा में अगर त्वरित कदम उठाते हुए सार्थक पहल की जाए तो स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में रखी जा सकती है, अन्यथा अगले कुछ वर्ष हम सबके लिए चुनौतिपूर्ण साबित होंगे। देश में वर्ष 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घनमीटर थी, जो वर्ष 2000 में 2300 घनमीटर रह गई तथा वर्ष 2025 तक इसके और घटकर 1600 घनमीटर रह जाने का अनुमान है। भारत में तकरीबन 70 प्रतिशत जल प्रदूषित है, जिसकी वजह से जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर था।

विजया पाठक

जल संकट दुनिया के लगभग सभी देशों की एक विकट समस्या बन चुका है। हालांकि पृथ्वी का करीब तीन चौथाई हिस्सा पानी से लबालब है लेकिन धरती पर मौजूद पानी के विशाल स्रोत में से महज एक-डेढ़ फीसदी पानी ही ऐसा है, जिसका उपयोग पेयजल या दैनिक क्रियाकलापों के लिए किया जाना संभव है। दुनिया भर में इस समय करीब दो अरब लोग ऐसे हैं, जिन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा और साफ पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण लाखों लोग बीमार होकर असमय काल का ग्रास बन जाते हैं। इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि पृथ्वी पर उपलब्ध पानी की कुल मात्रा में से मात्र तीन प्रतिशत पानी ही स्वच्छ बचा है और उसमें से भी करीब दो प्रतिशत पानी पहाड़ों व ध्रुवों

पिछले कुछ वर्षों में देश के अंदर जल का संकट विकराल रूप धारण कर चुका है। देश के अधिकांश हिस्सों में पीने के पानी से लेकर कृषि, उद्योग के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। समाज का एक बड़ा वर्ग इस समस्या से जूझ रहा है। इस समस्या के निदान के लिए अभी से चेतना होगा।

देश के हर हिस्से में गहराता जलसंकट

जल संरक्षण के लिए अब नहीं तो कभी नहीं

पर बर्फ के रूप में जमा है जबकि शेष एक प्रतिशत पानी का उपयोग ही पेयजल, सिंचाई, कृषि तथा उद्योगों के लिए किया जाता है। बाकी पानी खारा होने अथवा अन्य कारणों की वजह से उपयोगी अथवा जीवनदायी नहीं है। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में से इस एक प्रतिशत पानी में से भी करीब 95 फीसदी पानी भूमिगत जल के रूप में पृथ्वी की निचली परतों में उपलब्ध है और बाकी पानी पृथ्वी पर सतही जल के रूप में तालाबों, झीलों, नदियों अथवा नहरों में तथा मिट्टी में नमी के रूप में उपलब्ध है। स्पष्ट है कि पानी की हमारी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति भूमिगत जल से ही होती है लेकिन इस भूमिगत जल की मात्रा भी इतनी नहीं है कि इससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। वैसे भी जनसंख्या की रफ्तार तो तेजी से बढ़ रही है किन्तु भूमिगत जलस्तर बढ़ने के बजाय घट रहा है, ऐसे में पानी की कमी का संकट तो गहराना ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय दुनिया में करीब तीन बिलियन लोगों के समक्ष पानी की समस्या मुंह बाये खड़ी है और विकासशील देशों में तो यह समस्या कुछ ज्यादा ही विकराल हो रही है, जहां करीब 95 फीसदी लोग इस समस्या को

यह गुजरात सौराष्ट्र की एक नदी है, जो कभी बारहमासी जल प्रदान करती थी लेकिन इस नदी में सिर्फ बरसात में ही पानी रहता है, बाकी समय सूखी रहती है। देश के अंदर ऐसी तस्वीरें अधिकांश नदियों की है जो पानी की समस्या को साफ दर्शाती है। समय रहते इस ओर ध्यान देना होगा।

झेल रहे हैं। विश्वभर में तेजी से उभरती पानी की कमी की समस्या भविष्य में खतरनाक रूप धारण कर सकती है, इसीलिए अधिकांश विशेषज्ञ आशंका जताने लगे हैं कि जिस प्रकार तेल के लिए खाड़ी युद्ध होते रहे हैं, जल संकट बरकरार रहने या और बढ़ते जाने के कारण आने वाले वर्षों में पानी के लिए भी विभिन्न देशों के बीच युद्ध लड़े जाएंगे और हो सकता है कि अगला विश्व युद्ध भी पानी के मुद्दे को लेकर ही लड़ा जाए। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान भी पूरी दुनिया को चेता चुके हैं कि उन्हें इस बात का डर है कि

2040 तक जल की मांग, आपूर्ति होगी दोगुनी मांग

देश की सबसे बडी समस्या बन कर उभरेगा जलसंकट

आगामी वर्षों में पानी की कमी गंभीर संघर्ष का कारण बन सकती है। इसीलिए यह समय की सबसे बड़ी मांग है कि दुनियाभर में लोग बेशकीमती पानी की महत्ता को समय रहते समझें और इसके संरक्षण हर स्तर पर अपना योगदान दें। दरअसल पानी का अंधाधुध दोहन करने के साथ-साथ हमने नदी, तालाबों, झरनों इत्यादि अपने पारम्परिक जलस्रोतों को भी दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहा जाता रहा है कि भारत ऐसा देश है, जिसकी गोद में कभी हजारों नदियां खेलती थी लेकिन आज इन हजारों नदियों में से सैकड़ों ही शेष बची हैं

2040 तक भारत में होगी जल की दोगुनी मांग

भारत में जल उपलब्धता व उपयोग के कुछ तथ्यों पर विचार करें तो भारत में वैश्विक ताजे जल स्रोत का मात्र 04 प्रतिशत मौजूद हैं जिससे वैश्विक जनसंख्या के 18 प्रतिशत भारतीय आबादी के हिस्से को जल उपलब्ध कराना होता है। आंकड़ों के अनुसार लगातार दो साल के कमजोर मानसून के बाद देश भर में लगभग 330 मिलियन लोग देश की एक चौथाई आबादी, गंभीर सूखे के कारण प्रभावित हुए हैं। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2018 में जारी कम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में रिपोर्ट बताया गया हैं कि देश भर के लगभग 21 प्रमुख शहर दिल्ली, बंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद और अन्य शून्य भूजल स्तर तक पहुँच जाएंगे एवं इसके कारण लगभग 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया हैं कि वर्ष 2040 तक भारत में जल की मांग, उसकी पूर्ति से लगभग दोगुनी हो जाएगी। देश में वर्ष 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घनमीटर थी, जो वर्ष 2000 में 2300 घनमीटर रह जाने का अनुमान थी। ऑकड़ें दर्शाते हैं कि भारत के शहरी क्षेत्रों में 9.70 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता हैं जबकि देश के ग्रामीण इलाकों में तकरीबन 70 प्रतिशत लोग प्रदूषित पानी पीने और 33 करोड़ लोग सूखे वाली जगहों में रहने को मजबूर हैं। यदि देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी में भी पानी की बड़ी समस्या हैं क्योंकि भारतीय ब्यूरो द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट में सामने आया था कि दिल्ली जब बोर्ड द्वारा सप्लाई किया जाने वाला पानी मानकों पर खरा नहीं उतरता हैं और पीने योग्य नहीं हैं। भारत में तकरीबन 70 प्रतिशत जल प्रदूषित हैं, जिसकी वजह से जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर था।

और वे भी अच्छी हालत में नहीं हैं। हर गांव-मौहल्ले में कुएं और तालाब हुआ करते थे, जो अब पूरी तरह गायब हो गए हैं।

महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि पृथ्वी की सतह पर उपयोग में आने लायक पानी की मात्रा वैसे ही बहुत कम है और यदि भूमिगत जल स्तर भी निरन्तर गिर रहा है तो हमारी पानी की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? इसके लिए हमें वर्षा के पानी पर आश्रित

यह है मध्यप्रदेश के खण्डवा जिले के नर्मदा नदी में स्थित इंदिरा सागर बांध। वैसे तो यह बांध काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और बहुत बड़े क्षेत्र में पानी की पूर्ति करता है लेकिन इस बांध में भी जलभरण क्षमता धीरे-धीरे कम होती जा रही है।

रहना पड़ता है किन्तु वर्षा के पानी का भी सही तरीके से संग्रहण नहीं हो पाने के कारण ही इसका भी समुचित उपयोग नहीं हो पाता। वर्षा के पानी का करीब 15 फीसद वाष्प के रूप में उड़ जाता है और करीब 40 फीसद पानी नदियों में बह जाता है जबकि शेष पानी जमीन द्वारा सोख लिया जाता है, जिससे थोड़ा बहुत भूमिगत जल स्तर बढ़ता है और मिट्टी में नमी की मात्रा में कुछ बढ़ोतरी होती है। इसलिए यदि हम वर्षा के पानी का संरक्षण किए जाने की ओर खास ध्यान दें तो व्यर्थ बहकर नदियों में जाने वाले पानी का संरक्षण कर उससे पानी की कमी की पूर्ति आसानी से की जा सकती है और इस तरह जल संकट से काफी हद तक

यह है देश की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। यह नदी हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बहती है और कई राज्यों को पानी की पूर्ति करती है। लेकिन प्रदूषण के कारण इस पवित्र नदी का अस्तित्व खतरे में है। खासकर उत्तरप्रदेश और बिहार तक आते-आते गंगा नदी काफी प्रदूषित हो चुकी है। सरकार के कई प्रयासों के बाद भी गंगा को प्रदूषणमुक्त नहीं किया जा सका है।

निपटा जा सकता है।

पानी को मानव की मूलभूत आवश्यकता, अमूल्य राष्ट्रीय धरोहर व अति विशिष्ट प्राकृतिक संसाधन मानते हुए 1987 में जल संसाधनों के नियोजन एवं विकास के लिए राष्ट्रीय जल नीति घोषित की गई थी। इसके क्रियान्वयन के मामले में और तेजी लाने की जरूरत है। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा करते समय कहा गया था कि देश में उपलब्ध जल संसाधनों के विकास, संरक्षण, समुचित उपयोग एवं प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। देश में जल संकट के विकराल रूप धारण करते जाने के पीछे जनसंख्या विस्फोट के साथ-साथ पानी की उपलब्धता में हो रही कमी तो जिम्मेदार है ही, इसके अलावा पानी का दुरूपयोग, कुप्रबंधन एवं दूषित होता पेयजल आदि और भी कई ऐसी वजहें हैं, जो समस्या को विकराल बना रही हैं। हमें यह भली-भांति समझना होगा कि पानी

यह है यमुना नदी। नदी की यह तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि पवित्र नदियों की तस्वीर भी ऐसी हो सकती है। दिल्ली, आगरा जैसे शहरों में इस नदी की स्थिति काफी चिंतनीय है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी यमुना को प्रदूषण से नहीं बचाया जा सका है।

प्रकृति की अमूल्य देन है और हम स्वयं पानी का निर्माण नहीं कर सकते।

2047 तक, हमारी आवश्यकता पानी की उपलब्धता को पार करने की आशंका है और यही कारण है कि इस विषय पर समग्र रूप से चर्चा करने के लिए सभी राज्यों के साथ यह सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए, तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए एक रूप रेखा तैयार करनी चाहिए और आकस्मिक योजना बनानी चाहिए। हमारा देश एक विकसित देश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसलिए

नदियों की विचलित करने वाली तस्वीरों ने खड़े किये गंभीर सवाल

जल का आधार है नदियां लेकिन खतरे में है नदियों का अस्तित्व

भविष्य के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाना और इस दिशा में काम करना महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सभी को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में व्यक्तिगत रूप से और एक राष्ट्र के रूप में सभी राज्यों के लिए एक योजना तैयार करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। अमृत सरोवर की तर्ज पर छोटी भंडारण इकाइयों के माध्यम से भंडारण क्षमता बढ़ाने सहित चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के

यह है मध्यप्रदेश की कैन-बेतवा नदी। यह नदियां भी प्रदेश की जीवनदायिनी है। लेकिन पानी संचयन का उचित प्रबंधन न होने से अस्तित्व खतरे में है। हालांकि हाल ही में केन-बेतवा परियोजना के माध्यम से इस नदी को पुनर्जीवित करने की पहल हुई है। जिससे पानी का संचयन तो होगा पर पर्यावरण का काफी नुकसान होगा।

प्रयासों और पहलों से जागरूकता बढ़ी है। विभिन्न संगठनों, पंचायतों, गैर-सरकारी संगठनों, मशहूर हस्तियों आदि को एक साथ कार्य करना होगा। भूजल रिपोर्ट के प्रकाशन के माध्यम से देखा जा सकता है। इससे ब्लॉकों के अत्यधिक उपयोग, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल संख्या में कमी आई है, जबकि सुरक्षित ब्लॉकों में वृद्धि हुई है क्योंकि इस क्षेत्र में एक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ और अधिक काम करने की आवश्यकता है। जलाशयों के तलछटीकरण के कारण बांधों की भंडारण

छोटे-छोटे बांध बांधकर किया जा सकता है पानी का संरक्षण

खोजने होंगे बरसात के पानी पर निर्भरता के विकल्प

क्षमता में कमी को दूर करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है और इस संबंध में पहल करने की ज़रूरत है ताकि जलाशय की क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यह हमारा दायित्व है कि हम अपनी नदियों को बचाएं, आर्दभूमि का संरक्षण करें और जलग्रहण क्षेत्रों की रक्षा करें और उनके स्तर में होने वाली गिरावट को कम करें। हमें निर्बाध आपूर्ति के साथ-साथ मांग पक्ष प्रबंधन पर भी काम करने की आवश्यकता है। जल संसाधनों को गंदा होने से रोकने की जरूरत

मध्यप्रदेश

हर साल गंभीर होती जा रही पानी की समस्या

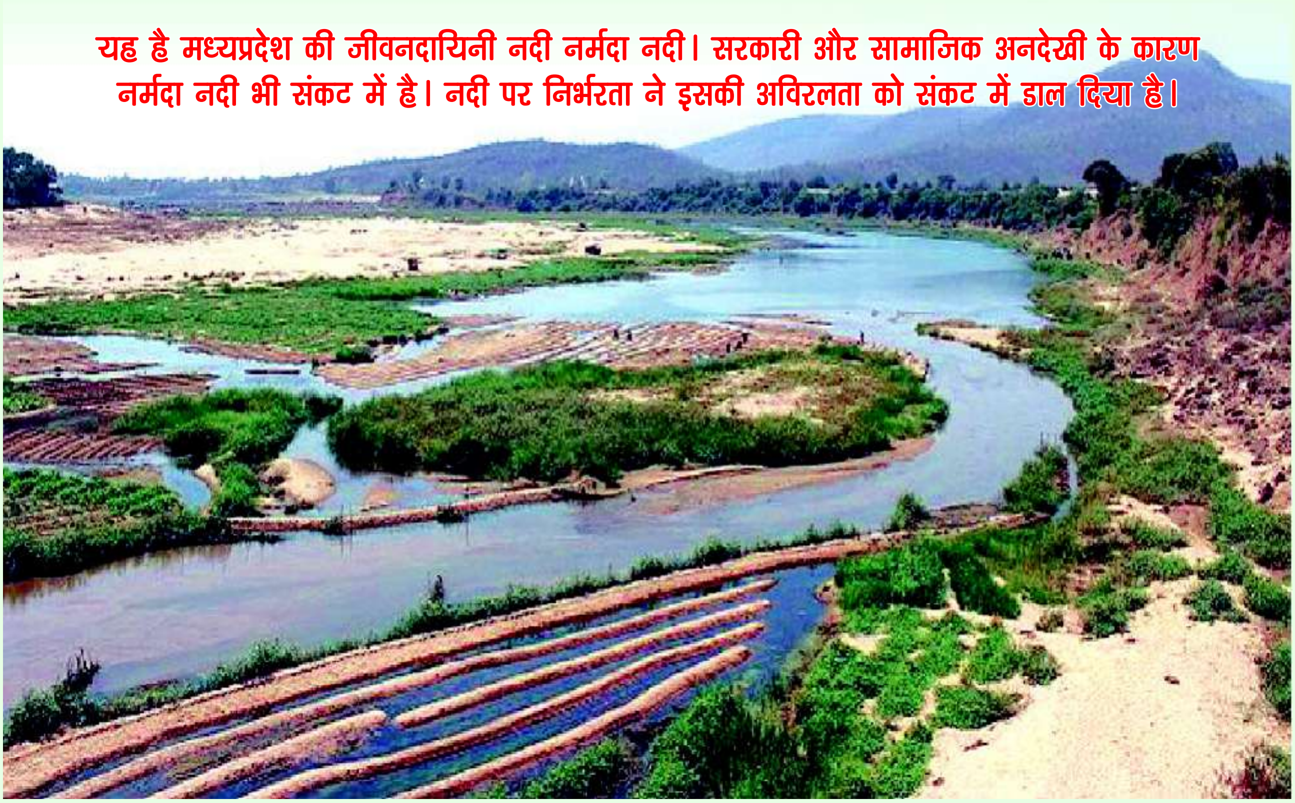

यह है मध्यप्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा नदी। सरकारी और सामाजिक अनदेखी के कारण नर्मदा नदी भी संकट में है। नदी पर निर्भरता ने इसकी अविरलता को संकट में डाल दिया है।

गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही मध्यप्रदेश में जल संकट गहराने की आशंका तीव्र होती जा रही है। हालत यह है कि यहां के 165 बड़े जलाशयों में से 65 बांध लगभग सूख चुके हैं और 39 जलाशयों में उनकी क्षमता का 10 फीसद से भी कम पानी शेष बचा है। भूमिगत जलस्तर कम होने से हैंडपंप और ट्यूबवैल भी पूरी क्षमता से पानी खींच नहीं पा रहे हैं। प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। इसकी पानी भराव की अधिकतम क्षमता 9740 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) है जिसकी तुलना में वर्तमान में उसमें केवल 2104 एमसीएम पानी बचा है और बांध में पानी के इस स्तर को हम बरकरार रखे हुए हैं। पिछले साल की कम वर्षा के

है। आने वाले दो दिनों में, हम सभी को इन मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और चर्चा करने और प्रत्येक राज्य की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने और नए बुनियादी ढांचे के सतत विकास को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हमें इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर

मध्यप्रदेश की अधिकांश नदियां बरसाती नदियां बन चुकी है। केवल 4-6 महिने ही नदियों में पानी रहता है बाकि समय सूखी रहती है। नदियों के अस्तित्व बचाये रखने में उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

चलते कुछ बांधों में पानी लगभग समाप्त हो गया है। प्रदेश में जलसंकट की स्थिति बन गई है। प्रदेश के कुल 378 स्थानीय नगरीय निकायों में से 11 नगरीय निकायों में चार दिन में एक बार पानी की आपूर्ति हो पा रही है। 50 निकायों में तीन दिन में एक बार तथा 117 निकायों में एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश की शहरी आबादी नदियों और जलाशयों के पानी पर निर्भर है, लेकिन फिलहाल शहरी इलाकों में स्थिति नियंत्रण में है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से भी जलसंकट की खबरें आ रही हैं क्योंकि जमीन के नीचे के पानी का स्तर कम होते जाने से हैंडपंप और ट्यूबवेल अपनी पूरी क्षमता से पानी नहीं खींच पा रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 5.5 लाख हैंडपंप और 15,000 ट्यूबवेल लोगों की पानी की जरूरत पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। लगभग 04 प्रतिशत हैंडपंप और ट्यूबवेल काम न करने की स्थिति में हो सकते हैं। प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी भी हर साल सूखती जा रही है। कभी नर्मदा में साल भर भरपूर पानी रहता था लेकिन अब हालात कुछ अलग हैं। नर्मदा नदी की धार को बनाये रखने के लिए बरगी बांध से पानी छोड़ा जाता है। नर्मदा नदी के पुनरूद्धार के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पास यह सही समय है क्योंकि पानी की कमी प्रदेश को लगातार परेशान कर रही है। अगर प्रदेश सरकार वास्तव में नर्मदा को पुनर्जीवित करना चाहती है, तो उसे 41 सहायक नदियों के पुनरुत्थान के लिए काम करना चाहिए। गुजरात में अरब सागर में गिरने से पहले नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थल से कुल 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसमें से मध्यप्रदेश में 1077 किलोमीटर और बाकी दूरी गुजरात में शामिल है।

मध्य प्रदेश में जल संकट एक गंभीर समस्या है, जो भूजल स्तर के लगातार गिरने, प्रदूषण और जल संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण है, जिससे कई क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई की समस्याएँ बढ़ रही हैं। मध्यप्रदेश में पर्यावरण से खिलवाड़ और गिरता भूजल स्तर यह स्थिति पूरे प्रदेश में है। इस कारण नदियों और तालाबों का जल स्तर भी लगातार कम होता जा रहा है। भूमिगत जल का भंडारण जलस्त्रोतों पर भी निर्भर करता है। दूसरा कारण यह है कि 90 के दशक से सीमेंटीकरण में तेजी आई। मध्यप्रदेश में जल संकट से संबंधित जब हम आंकड़े देखते हैं, तब मध्यप्रदेश

समग्र रूप से चर्चा करने और एक साथ समाधान तक पहुंचने के लिए लगातार बैठकें करते रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी राष्ट्र की प्रगति और विकास में बाधा न बने। वर्तमान समय में जल की समस्या दिन-

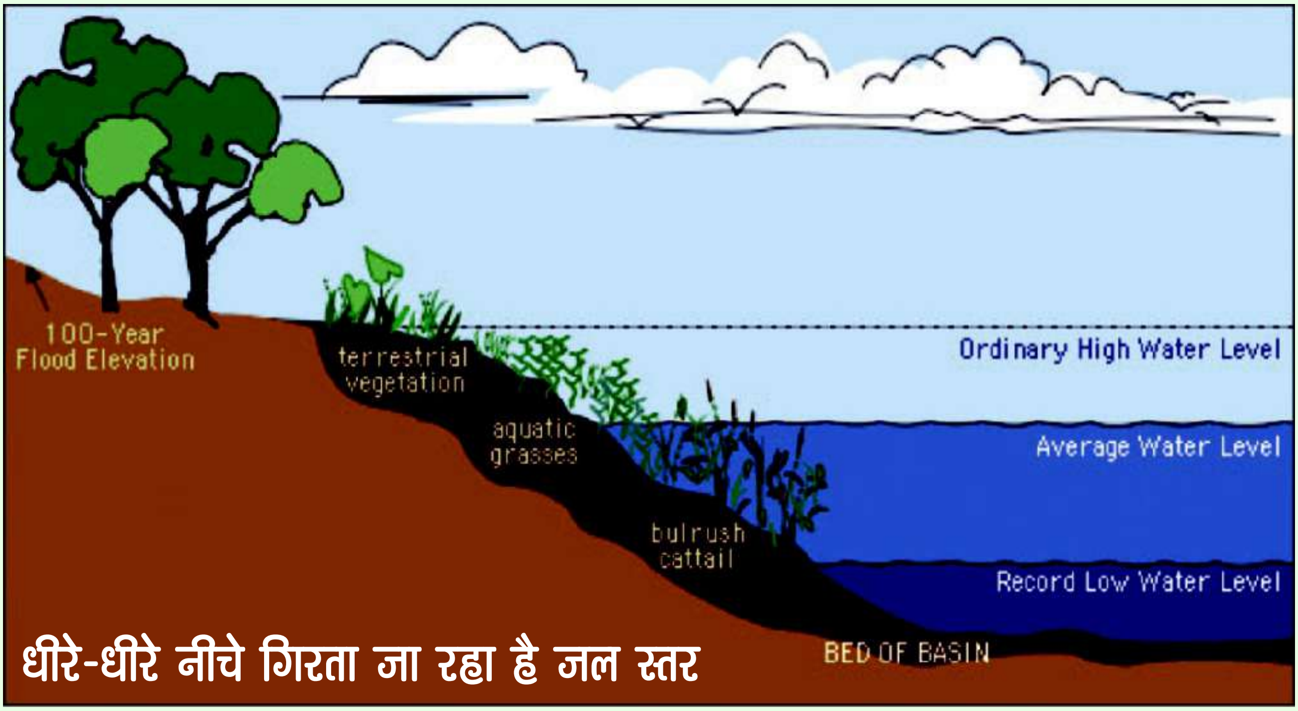

विधानसभा सचिवालय के डेटा के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पेयजल की स्थिति गुजरात में 55 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 50 प्रतिशत और राजस्थान में 27 प्रतिशत है। तो वहीं मध्यप्रदेश में 9.9 प्रतिशत है। जो कि सोचनीय है। देश में करीब 33 करोड़ लोग आज भी स्वच्छ जल से वंचित हैं। करीब 47 फीसदी घरों में ही नल कनेक्शन हैं। मध्यप्रदेश में वर्ष 2014 तक 5,31,217 कुल शासकीय स्थापित हैंडपंप थे। इन हैंडपंप में चालू हैंडपंप 5,09,825 थे। कुल बंद हैंडपंप 21,392 थे। जल स्तर काम होने से बंद हैंडपंप 9570 थे। वहीं असुधार योग्य हैंडपंप 6995 थे। गुणवत्ता और अन्य कारणों से बंद हैंडपंप 1027 थे। जबकि, साधारण खराबी से बंद हैंडपंप 3800 थे। सरकार भी जल संकट के समाधान को लेकर प्रयासरत रहती है, मगर जल संबंधी योजनाओं से कोई ठोस परिवर्तन नहीं आ पाया है। बुन्देलखंड के पानी की समस्या आज सबके सामने है। इसलिए केन-बेतवा लिंक परियोजना स्थापित की जा रही है। बुन्देलखंड में जल संकट की वजह जलवायु परिवर्तन भी रही है। जल संकट से बुन्देलखंड में पलायन भी बढ़ रहा है। जल संकट में बुंदेलखंड

मध्यप्रदेश में ये है भूजल स्तर की स्थिति

सुरक्षित - 70 प्रतिशत से कम भूमि जल का दोहन।
सेमी क्रिटिकल - 70 से 90 प्रतिशत के बीच भूजल का दोहन।
गंभीर - 90 प्रतिशत से अधिक और 100 प्रतिशत से कम भूमि जल का दोहन।
अतिदोहित - 100 प्रतिशत से अधिक भूमि जल का दोहन।

भूजल स्तर को लेकर भारी पड़ रही लापरवाही

प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लोगों के पास न तो पीने के लिए और न ही आम प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में जल है। बहुत से गाँव या नगर है जिसमें जल की समस्या गंभीर विषय बना हुआ है। जहाँ पीने के लिए भी स्वच्छ जल नहीं है। यदि गाँव पर दृष्टि डाली

से भी खराब हालत इज़राइल और सिंगापुर जैसे देशों के हैं। मगर, जल का सही उपयोग करके ये देश विकसित होते जा रहे हैं। दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। बुन्देलखंड में चेक डेम बनाकर, ऐसी फैक्ट्री लगाकर जिनमें पानी का कम उपयोग हो, कम पानी वाली फसलें लगाकर और अन्य तरीकों से पानी बचाया जा सकता है। जिससे आने वाले दिनों में बुन्देलखंड भी समृद्ध होगा।

मध्य प्रदेश के सैकड़ों गाँव भारी जल संकट का सामना कर रहे है। भीषण गर्मी में पेयजल की व्यवस्था करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। जिन गाँव में नल जल योजना के तहत पाइप लाइन बिछ भी गई है, वहां पानी स्रोत नहीं होने से नलों में पानी नहीं आ रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर पानी के टैंकर की व्यवस्था की जाती है।

क्या कहती है केंद्रीय भूमिजल आयोग की रिपोर्ट?

केंद्रीय भूमिजल आयोग के अनुसार मध्यप्रदेश में भूजल का 90 प्रतिशत पुनर्भरण वर्षा के जल से होता है। यदि वर्ष 2023 की बात करें तो मानसून के बाद जितना भूजल बढ़ा, उसमें से 58.75 प्रतिशत भूजल का दोहन कर लिया गया। इसमें 90 प्रतिशत भूजल का उपयोग कृषि, 09 प्रतिशत का घरेलू और एक प्रतिशत भूजल का उपयोग उद्योगों के लिए किया गया। इधर, मध्यप्रदेश के लिए राहत की बात है कि 71 प्रतिशत भू-भाग में पर्याप्त भूजल स्तर है। जबकि 19 प्रतिशत सेमी क्रिटिकल और 08 प्रतिशत क्षेत्र में अत्याधिक दोहन हो रहा है।

इंदौर में 10 वर्ष में 10 मीटर गिरा भूजल स्तर

इंदौर में भूजल का स्तर 2012 में 150 मीटर था, जो 2023 में 160 मीटर से अधिक हो गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भूजल दोहन इसी गति से जारी रहा तो 2030 तक भूजल स्तर 200 मीटर से अधिक गहरा हो सकता है। भूजल स्तर में गिरावट के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

जाए तो वहाँ की महिलाएं पीने के लिए जल नल-कूपों, कुओं जलाशयों इत्यादि से लेकर आती हैं। ऐसी परिस्थिति में जल संरक्षण एक अहम विषय के रूप में सामने आता हैं। हालांकि आज के समय में देखा जाए तो तकनीकी विकास ने अशुद्ध जल

इंदौर बनेगा देश का दूसरा बेंगलुरु

मध्य प्रदेश भारत का सबसे तेजी से डेवलप होता शहर है। लिहाजा इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की वजह से यहां की आबादी भी काफी तेजी से ग्रो कर रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इंडिया का यह बेंगलुरु के बाद दूसरा ऐसा शहर बनेगा जिसका अंडर ग्राउंड वॉटर बहुत तेजी से खत्म होगा। यही नहीं शहर के सेहरा में तब्दील होने का भी खतरा मंडरा सकता है क्योंकि जिस तेजी से ग्राउंड वॉटर ड्राय हो रहा है यह खतरे की घंटी है। यहां अभी ही पानी का स्तर 560 फीट से ज्यादा नीचे जा चुका है। लिहाजा ठोस काम ना हुआ तो शहर के लोगों को पीने के पानी के लिए तरसना पड़ सकता है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि गिरते जल स्तर के कई कारण हैं। लेकिन प्रमुख कारण बोरिंग है। पूरे प्रदेश में बीते 15 सालों में बड़ी मात्रा में बोर कराए गए लेकिन इनके लिए प्रशासनिक अनुमति ही नहीं ली जाती। यदि नियमों की बात की जाए तो बिना अनुमति के बोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अधिकारियों की सुस्त कार्रवाई के कारण प्रदेश में लगातार बोर की संख्या बढ़ रही है। यह भूमिगत जल स्तर के लिए घातक साबित हो रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी शासन-प्रशासन द्वारा कई पहल की गई हैं। इसके बाद भी अमल नहीं किया गया। प्रदेश में 60 फीसदी सरकारी इमारतों में ही वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गई है और यह निगमों की अनदेखी है।

मध्यप्रदेश में पर्यावरण से खिलवाड़ और गिरता भूजल स्तर

पर्यावरणविद् डॉ. सुभाष सी पांडे बताते हैं कि बीते सालों की अपेक्षा पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ज्यादा किया जा रहा है। कैंचमेंट एरिया और ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे हैं। यह स्थिति पूरे प्रदेश में है। इस कारण नदियों और तालाबों का जल स्तर भी लगातार कम होता जा रहा है। भूमिगत जल का भंडारण जलस्त्रोतों पर भी निर्भर करता है। दूसरा कारण यह है कि 90 के दशक से सीमेंटीकरण में तेजी आई। वहीं वनों की कटाई भी की जा रही है। ये दोनों ही गिरते भूजल स्तर के बड़े कारण हैं।

गर्मी के मौसम की शुरूआत से ही पानी की समस्या की खबरें आने लगी हैं। यह संकट साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अब यह मौसमी नहीं, स्थायी हो गया है। यह समस्या प्रकृति से तो जुड़ी है, पर कुछ हद तक मानवनिर्मित भी है। हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ, जब

को भी पीने के योग्य बना दिया है किंतु फिर भी वर्तमान पानी की कमी मनुष्य के सतत् विकास के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय हैं।

भारत में जल संकट एक गंभीर समस्या है, जिसके कारण लाखों लोगों का जीवन और आजीविका प्रभावित हो रही है। बढ़ती

मध्यप्रदेश में बहुत समृद्ध वन हुआ करते थे। सदानीरा नदियां थीं। गांव में कुएं, तालाब, बावड़ियां थीं। नदी-नालों में पानी की बहुतायत थी। वर्षा जल को छोटे-छोटे बंधानों में एकत्र किया जाता था, जिससे सिंचाई, घरेलू निस्तार और मवेशियों को पानी मिल जाता था। किसान पहले बैलों से चलने वाली मोट से सिंचाई करते थे। गांव में कच्चे मिट्टी के घर होते थे। घर के आगे-पीछे काफी जगह होती थी। खेती किसानी के काम में घरों में बड़ा आंगन होता था। घर के पीछे सब्जी-बाड़ी होती थी। बाड़ी में हरी सब्जियां लगाई जाती थी। मुनगा, आम, अमरूद, नींबू के पेड़ होते थे। भूमि की सतह का पानी नीचे जज्ब होता था और धरती का पेट भरता था। यानी भूजल उपर आता था। छुटपन में हमारे घर कुएं से पानी आता था। हम नदी में नहाने जाते थे। वहीं मवेशी भी पानी पीते थे। वहां तरबूज-खरबूज की खेती होती थी। मछुआरे मछली पकड़ते थे। कम पानी वाली फसलें होती थी या बिना सिंचाई के भी फसलें हुआ करती थी। बिर्रा (गेहूं और चना मिलवां) खेती होती थी। अरहर, ज्वार होती थी। उड़द-मूंग व कोदो कुटकी होती थी। मवेशियों को चरने के लिए जंगल व परती जमीन हुआ करती थी। लम्बे घास के मैदान हुआ करते थे। नदी के किनारे भी काफी जगह होती थी, वहां मवेशी चरते और पेड़ों की छाया में बैठते थे। लेकिन अब जंगल कम हो गए हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, परती जमीन भी दिखाई नहीं देती है। यहां सतपुड़ा पहाड़ों से निकलने वाली नदियां दम तोड़ रही हैं। कुएं, तालाब, बावड़ियां सूख गए हैं। ज्यादा पानी पीने वाली बोनी किस्मों को पानी पिलाने नलकूप खोदे जा रहे हैं। तालाब पट गए हैं। जैव विविधता में मिट्टी के बाद पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जीवन के लिए हवा के बाद पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे संजोया जाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। भोजन के बिना तो कुछ दिन जिया जा सकता है, लेकिन पानी के बिना जीना मुश्किल है। भोजन और पानी ऐसा संसाधन है, जिसे कृत्रिम रूप से बनाया नहीं जा सकता है। पानी से मानव ही नहीं, समस्त जीव-जगत, पशु पक्षियों का जीवन जुड़ा हुआ है।

मध्यप्रदेश की स्थिति उत्तर भारत से भिन्न है। उत्तर भारत की नदियां हिमजा हैं, वहां वर्षा न भी हो तो उनमें बर्फ पिघलने से पानी आएगा,

जनसंख्या, जल संसाधनों का अपर्याप्त प्रबंधन, और जलवायु परिवर्तन के कारण यह संकट और गहरा होता जा रहा है। वर्तमान में देश गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। इसके कारण लाखों लोगों का जीवन एवं आजीविका संकट में

लेकिन मध्यप्रदेश की नदियां वनजा हैं, यानी वन नहीं होंगे तो ये शुष्क हो जाएगी। यह हाल यहां की नदियों का हो गया है, यहां की जीवन रेखा कहलाने वाली नर्मदा नदी की ज्यादातर सहायक नदियां सूख चुकी हैं। इससे नर्मदा भी कमजोर हो गई है। हाल के कुछ बरसों से किसानों की एक बड़ी समस्या है बारिश न होना या अनियमित होना। भूजल बरसों में एकत्र होता है, यही हमारा सुरक्षित जल भंडार है। फिर बिना बिजली के उसे उपर खींचना मुश्किल है। पूर्व से आसन्न बिजली का संकट साल दर साल बढ़ते जा रहा है। यानी उर्जा का संकट भी है। अब सवाल है पानी कैसे बचाया जाए? जैसे भी हो, जहां भी संभव हो, बारिश के पानी को वहीं लोगों के खेत तक पहुंचाना चाहिए। जहां पानी गिरता है, उसे सरपट न बह जाने दें। स्पीड ब्रेकर जैसी पार बांधकर, उसकी चाल को कम करके धीमी गति से जाने दें। इसके कुछ तरीके हो सकते हैं। खेत का पानी खेत में रहे, इसके लिए मेड़बंदी की जा सकती है। गांव का पानी गांव में रहे, इसके लिए तालाब और छोटे बंधान बनाए जा सकते हैं। चैक डेम बनाए जा सकते हैं। पेड़, तरह-तरह की झाड़ियां व घास की हरियाली बढ़ाकर जल संरक्षण किया जा सकता है।

शहरों में हारवेस्टर के माध्यम से पानी को एकत्र कर भूजल को उपर लाया जा सकता है। इसके माध्यम से कुओं व नलकूप को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसके साथ सबसे जरूरी है खेती में हमें फसल चक्र बदलना होगा। कम पानी या बिना सिंचाई के परंपरागत देशी बीजों की खेती करनी होगी। और ऐसी कई देशी बीजों को लोग भूले नहीं है, वे कुछ समय पहले तक इन्हीं बीजों से खेती कर रहे थे। देशी बीज और हल-बैल की गोबर खाद वाली की खेती की ओर मुड़कर मिट्टी-पानी का संरक्षण करना होगा। यानी समन्वित प्रयास से ही हम पानी जैसे बहुमूल्य संसाधन का संरक्षण व संवर्धन कर सकते हैं।

यहां उत्तराखंड में वनों के संरक्षण से पानी के परंपरागत स्त्रोत बचाने का अनूठा उदाहरण देना उचित होगा। यहां 80 के दशक में हेंवलघाटी के परंपरागत जलस्त्रोत लगभग सूख चुके थे। लेकिन जब लोगों को गहरा अहसास हुआ कि हमारा बांज-बुरास का जंगल उजड़ रहा है, और सदाबहार जलस्त्रोत सूख रहे हैं, उन्होंने इन्हें पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। इसके बाद वे वनों के जतन में जुट गए।

है। नीति आयोग के अनुसार, वर्तमान में स्वच्छ जल की अपर्याप्त पहुँच के कारण लगभग 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं तथा इसके कारण प्रतिवर्ष लगभग 02 लाख लोगों की मृत्यु होती है। भारत में विश्व की कुल

इस काम के पीछे चिपको आंदोलन की प्रेरणा थी। जड़धार गांव में जहां पहाड़ी के वनों को लोगों ने संरक्षित किया, चिपको आंदोलन के कार्यकर्ता विजय जड़धारी का गांव है। उनकी जंगल को फिर पुनर्जीवित करने में महती भूमिका है। इस वन को फिर से हरा-भरा करने के लिए उन्होंने उजड़े हुए जंगल की सिर्फ रखवाली की, यानी जंगल को कुछ सालों के लिए विश्राम दे दिया। और देखते ही देखते जंगल से फिर से जी उठा। उनके और बीज बचाओ आंदोलन के जंगल बचाने के प्रयास से वहां के जलस्त्रोत फिर सदानीरा हो गए। जब वन होंगे तो बादल आएंगे, बारिश होगी। यह ऐसा तरीका है, जिससे यह सीख मिलती है कि पेड़ों को, जंगलों को बचाना बहुत जरूरी है। इस प्रकार, वृक्षारोपण और जंगल बचाने के साथ मेड़बंदी, तालाब बनाने का काम कई जगह हुआ है। राजस्थान में तो पानी बचाने की बहुत ही अच्छी परंपरा है। राजस्थान के कुछ तालाब तो बरसों पुराने हैं, उनके रखरखाव के नियम-कायदे भी गांव वालों ने बनाए हैं, जिससे उनका पानी साफ-सुथरा व पीने योग्य बना रहे। इन तालाबों में गंदगी नहीं थी, क्योंकि वहां का समाज मिलकर इसकी देखरेख करता है। उन्हें इनकी चिंता है। इसके अलावा, वहां हर घर में टंकी है, जिसमें वे बारिश के दिनों में पानी का संग्रह करते हैं, जिसका उपयोग वे साल भर करते हैं। बारिश के पानी की एक-एक बूंद को एकत्र करने की अच्छी परंपरा है। इसके साथ ही अगर हमारे गांवों के आसपास वन हैं, पेड़ हैं, उनकी रक्षा करनी जरूरी है। यदि प्राकृतिक वन नहीं हैं, तो बड़े पैमाने पर स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाने चाहिए। नर्मदापुरम जिले में एक है काकड़ी, वहां के आदिवासियों ने गांव में काफी पेड़ लगाए हैं। जिससे न केवल उनके गांव में हरियाली आ गई है, बल्कि उनकी जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। पौष्टिक फल, चारा, ईंधन, हरी पत्ती का खाद, रेशे और दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुएं भी मिल जाती हैं। इस तरह, अगर इसी तरह इस दिशा में अगर समन्वित प्रयास किए जाए तो जलसंकट का समाधान हो सकेगा। लेकिन क्या हम इस दिशा में कुछ सचमुच प्रयास करना चाहेंगे?

आबादी का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है, जबकि देश में पीने योग्य जल संसाधनों का मात्र 04 प्रतिशत भाग ही उपलब्ध है। देश में अत्यधिक जल दोहन तथा अकुशल प्रबंधन के कारण भू-जल स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है।

भारत में जल की कमी

भारत में पानी की कमी एक जारी संकट है जो हर साल लगभग सैकड़ों मिलियन लोगों को प्रभावित करता है। विशाल ग्रामीण और शहरी आबादी को प्रभावित करने के अलावा, भारत में पानी की कमी पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। 1.4 अरब से अधिक लोगों की आबादी के बावजूद भारत में दुनिया के ताजे पानी के संसाधनों का केवल 4/100 प्रतिशत ही है। ताजे पानी की असंगत उपलब्धता के अलावा, भारत में पानी की कमी गर्मियों के महीनों में, पूरे देश में मानसून की शुरुआत से ठीक पहले नदियों और उनके जलाशयों के सूखने से भी होती है। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण संकट विशेष रूप से खराब हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप मानसून में देरी हो रही है, परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में जलाशय सूख रहे हैं। भारत में पानी की कमी के लिए जिम्मेदार अन्य कारक उचित बुनियादी ढांचे और सरकारी निरीक्षण की कमी और अनियंत्रित जल प्रदूषण हैं।

बढ़ती माँग के कारण, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत 2025 तक पानी की कमी वाला देश बन जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया (नीति आयोग) की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोत्तम अनुमान बताते हैं कि 2030 तक भारत की पानी की माँग आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी।

इसके परिणामस्वरूप आने वाले समय में देश को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष 2030 तक देश में जल की मांग, आपूर्ति की दोगुनी होने की संभावना है। इससे देश में करोड़ों लोगों को जल के गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद में 06 प्रतिशत की हानि होने की संभावना है। जल संसाधन मंत्रालय के एकीकृत जल संसाधन विकास के लिये राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च उपयोग परिदृश्य में वर्ष 2050 तक जल की आवश्यकता 1,180 अरब घन मीटर होने की संभावना है। देश में जल की उपलब्धता वर्तमान में 1,137 अरब घन मीटर है। वर्ष 2030 तक देश की 40 प्रतिशत आबादी को पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होगा। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में 120 वें स्थान पर है और देश के लगभग 70 प्रतिशत जल स्रोत प्रदूषित हैं।

जल संकट के प्रमुख कारण

बढ़ती जनसंख्या एवं नगरीकरण

बढ़ती जनसंख्या एवं नगरीकरण देश में बढ़ते जल संकट का एक प्रमुख कारण है। वर्ष 2001 में प्रतिव्यक्ति जल की उपलब्धता 1816 घन मीटर थी जो कि वर्ष 2011 में घटकर 1545 घन मीटर हो गई और वर्ष 2031 तक इसके घटकर 1367 घन मीटर होने की संभावना है।

जल-गहन फसलों की कृषि

देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 54 प्रतिशत भाग पर जल-गहन फसलों जैसे- चावल, गेहूँ, गन्ना, कपास इत्यादि की कृषि की जाती है। सरकार द्वारा दिये जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण किसान इन फसलों की कृषि के लिये प्रेरित होते हैं।

जल का अकुशल प्रबंधन

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं के लिये प्रतिदिन 135 लीटर जल की आवश्यकता होती है जबकि भारत के कुछ बड़े शहरों जैसे- मुंबई, दिल्ली इत्यादि में शहरी विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बावजूद प्रति दिन प्रति व्यक्ति को 150 लीटर से अधिक जल दिया जाता है। भारत प्रति व्यक्ति जल की खपत के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। यहाँ प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल की खपत लगभग 250 लीटर है। इसका प्रमुख कारण जल की बर्बादी तथा औद्योगिक खपत है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार जलधाराओं, झीलों, जलभृतों और मानव-निर्मित जलाशयों से ताज़े जल की तेज़ी से निकासी के साथ-साथ विश्व भर में आसन्न जल तनाव और जल की कमी के संबंध में वैश्विक चिंता बढ़ती जा रही है। बदलती जलवायु प्रवृत्तियों, बार-बार उभर रही प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों की अचानक तेज़ वृद्धि से यह स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। 05 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर भारत के संक्रमण में सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना सर्वोपरि है। इस प्रयास में जल एक महत्त्वपूर्ण संसाधन होने की भूमिका रखता है। विश्व की लगभग 17 प्रतिशत आबादी का वहन करने वाला भारत विश्व के ताज़े जल संसाधनों का मात्र 4 प्रतिशत ही रखता है, जो स्पष्ट रूप से इसके विवेकपूर्ण उपयोग और कुशल जल जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करता है। 1700 घन मीटर से कम हो तो माना जाता है कि वह देश जल तनाव का सामना कर रहा है। 1000 घन मीटर से कम हो तो माना

देश में पानी की खपत

देश में जल की कुल खपत का तकरीबन 85 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। जबकि केवल 10 प्रतिशत उद्योगों में और केवल 05 प्रतिशत पानी घरों में प्रयोग होता है। भारत में बहने वाली मुख्य नदियों के अलावा हमें औसतन सालाना 1170 मिली बारिश का पानी मिल जाता है, इसके अलावा नवीकरणीय जल संरक्षण से भी हमें सालाना 1608 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल मिल जाता है। जिस तरह का मज़बूत बैकअप हमें मिला है और दुनिया का जो नौवाँ सबसे बड़ा फ्रेश वॉटर रिज़र्व हमारे पास है, उसके बाद भारत में व्याप्त पानी की समस्या स्पष्टतः जल संरक्षण को लेकर हमारे कुप्रबंधन को दर्शाती है, न कि पानी की कमी को।

जाता है कि वह देश जल की कमी का सामना कर रहा है। 500 घन मीटर से कम हो तो माना जाता है कि वह देश जल की पूर्ण कमी का सामना कर रहा है। भारत विश्व में भूजल का सबसे अधिक निष्कर्षण करता है। यह मात्रा विश्व के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े भूजल निष्कर्षण-कर्ता (चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका) के संयुक्त निष्कर्षण से भी अधिक है। हालाँकि भारत में निष्कर्षित भूजल का केवल 08 प्रतिशत ही पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका 80 प्रतिशत भाग सिंचाई में उपयोग किया जाता है। शेष 12 प्रतिशत भाग उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है। केंद्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट (मार्च 2021) के अनुसार, भारत की वर्तमान जल उपचार क्षमता 27.3 प्रतिशत और सीवेज उपचार क्षमता 18.6 प्रतिशत है (जहाँ अतिरिक्त 5.2 प्रतिशत क्षमता जोड़ी जा रही है)। लेकिन फिर भी अधिकांश सीवेज उपचार संयंत्र अधिकतम क्षमता पर कार्य नहीं कर रहे हैं और निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड के नवीनतम अध्ययन के अनुसार भारत के 700 ज़िलों में से 256 ज़िलों ने गंभीर या अत्यधिक दोहित भूजल स्तर की सूचना दी है। अति-निर्भरता और निरंतर खपत के कारण भूजल संसाधनों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप कुएँ, पोखर, तालाब आदि सूख रहे हैं। इससे जल संकट गहरा होता जा रहा है।

भारत में जल संकट के प्रभाव

भारत में पानी की कमी से देश भर में करोड़ों लोग प्रभावित हैं। आबादी के एक बड़े हिस्से के पास अपनी दैनिक जरूरतों के

जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं नाकाफी

जल जीवन मिशन: जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार प्रत्येक राज्य के साथ हिस्सेदारी करके 2024 तक भारत के प्रत्येक घर में नल और पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती थी। भारत सरकार ने इस योजना की शुरूआत 01 अक्टूबर 2021 को की थी, इसका उद्देश भारत के समस्त शहरों में जल की सार्वभौमिक उपस्थिति सुनिश्चित करना है। लेकिन धरातल पर यह योजना कारगर साबित नहीं हो पा रही है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: इस योजना की शुरु आत 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य कृषि कार्य में जल का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना है। बाद में 2016 में इसके तहत बड़ी तथा माध्यम 90 सिंचाई परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया। बावजूद इसके यह योजना कागजों तक ही सिमटी नजर आ रही है।

सही फसल अभियान: सही फसल अभियान की शुरूआत शुष्क क्षेत्रों में ऐसी फसलों के उपयोग हेतु हुई थी जिसमें बहुत ही कम जल का उपयोग होता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि ये फसलें आर्थिक रूप से लाभकारी तथा पर्यावरण के अनुकूल हो। किंतु किसानों पर इस पहल का कोई असर नहीं हुआ और योजना को फेल ही माना जा रहा है।

अमृत सरोवर: अमृत सरोवर अभियान की शुरूआत 22 अप्रैल 2022 को आजादी के 75 में वर्ष पर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य देश के समस्त जलाशयों और जलकुंड का कायाकल्प करना है जिससे भविष्य के लिए जल का संरक्षण किया जा सके। इस मिशन के द्वारा प्रत्येक जिले के 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना

लिए पानी प्राप्त करने का कोई विश्वसनीय और निरंतर साधन नहीं है। जून 2019 में, भारत के 65 प्रतिशत जलाशयों में सामान्य से कम जल स्तर की सूचना मिली और 12 प्रतिशत पूरी तरह से सूख गए। चूंकि चेन्नई जैसे कुछ मेगासिटीज सहित कई शहरों में नल का पानी उपलब्ध नहीं है, इसलिए निवासी वैकल्पिक जल स्रोतों पर निर्भर हैं। देश में बिखरे हुए सार्वजनिक जल पंप हैं

है। इसमे लगभग एक एकड़ या उससे अधिक आकार के 50,000 जलाशयों का निर्माण होगा। इनमें से प्रत्येक अमृत सरोवर 10,000 घन मीटर की जल धारण क्षमता के साथ 1 एकड़ क्षेत्र में होगा। 19 इस मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य मीडिया के विभिन्न माध्यमों द्वारा जन सामान्य को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है।

कैच द रैन योजना: कैच द रैन योजना की शुरूआत 22 मार्च 2021 में हुई थी। इसका उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण करना वनों का सघनीकरण, देश के सभी जिलों में जल शक्तिकेंद्रों की स्थापना करना और वर्षा जल का संचयन करना है।

अटल भूजल योजना: अटल भूजल योजना के तहत देश में चिन्हित सभी 07 क्षेत्र जहां जल की अत्यंत कमी थी और भूजल का प्रबंधन करना अति आवश्यक था, ऐसे सभी क्षेत्रों में भूजल का प्रबंध करने के लिए सामुदायिक सहयोग पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत जल स्रोतों का विकास और प्रबंधन किया जा रहा है।

नमामि गंगे योजना: इस योजना उद्देश्य गंगा तथा उसकी सहायक नदियों को साफ तथा स्वच्छ रखना है। इससे जल का प्रदूषण कम होगा और जल की उपयोगिता बढ़ेगी।

जल शक्ति अभियान: देश में जल की बढ़ती समस्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरूआत की गई। इस अभियान को 2019 में जुलाई से नवम्बर तक देश के जल संकट वाले 256 जिलों के 1592 प्रखंडों में मिशन के तौर पर चलाया गया। ये वे प्रखंड थे जहां भूजल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा था। इस अभियान द्वारा जल संरक्षण और वर्षा जल संचय के लिए 2.73 लाख अवसंरचनाओं का निर्माण, 45,000 जलाशयों और तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया तथा पानी के पुनः उपयोग और पुनर्भरण के लिए 1.43 लाख संरचनाओं का निर्माण हुआ।

नदी जोड़ो परियोजना- वर्षा जल संचयन के साथ ही देश में नदी जल प्रबंधन के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं। हाल ही में प्रारंभ हुई केन-बेतवा लिंक परियोजना इसी का भाग है। यह समझौता अन्य राज्यों के मध्य भी ऐसी परियोजनाओं को साकार करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण साबित होगा।

लेकिन उनमें से बहुत से शहरों से बहुत दूर स्थित हैं और उनका पानी का प्रवाह रूक-रूक कर और अप्रत्याशित है। बहुत सारे भारतीयों को पीने का पानी खरीदने के लिए पैसे खर्च करने के विकल्प के साथ मजबूर किया जाता है, लेकिन समाज के गरीब वर्ग इसे दैनिक आधार पर वहन करने में असमर्थ हैं, जो भारत की ग्रामीण आबादी के लिए पानी की कमी की एक बड़ी समस्या पैदा

जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों?

- देश में जनसंख्या विस्फोट के कारण विभिन्न जल निकायों जैसे- नदियों, झीलों और तालाबों में प्रदूषण का स्तर दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।
- देश के अधिकांश हिस्सों में भूजल स्तर अपेक्षाकृत काफी नीचे चला गया है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि भारत दुनिया में भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला देश है।
- जल प्रबंधन देश में कृषि की बेहतरी के लिये कुशल सिंचाई पद्धतियों को विकसित करने में मदद करता है।
- जल संसाधन सीमित हैं और हमें उन्हें अगली पीढ़ी के लिये भी बचा कर रखना है तथा यह उचित जल प्रबंधन के अभाव में संभव नहीं हो सकता।
- जल प्रबंधन प्रकृति और मौजूदा जैव विविधता के चक्र को बनाए रखने में मदद करता है।
- चूँकि जल स्वच्छता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिये देश में स्वच्छता को तब तक पूर्णतः सुनिश्चित नहीं किया जा सकता जब तक जल का उचित प्रबंधन न किया जाए।
- जल संकट देश की अर्थव्यवस्था को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और जल प्रबंधन की सहायता से जल संकट को खत्म कर इस नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है।

भारत में जल प्रबंधन के समक्ष चुनौतियाँ

- जल की मांग और पूर्ति के मध्य अंतर को कम करना।
- खाद्य उत्पादन के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना और प्रतिस्पर्धी मांगों के बीच उपयोग को संतुलित करना।
- महानगरों और अन्य बड़े शहरों की बढ़ती मांगों को पूरा करना।
- अपशिष्ट जल का उपचार।
- पड़ोसी देशों के साथ और सह-बेसिन राज्यों आदि में पानी का बँटवारा करना।

जलस्रोतों का वितरण

- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का 80-90 प्रतिशत और कृषि कार्यों के लिये जल का लगभग 75 प्रतिशत भू-जल स्रोतों से लिया जाता है।
- शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति का 50-60 प्रतिशत भू-जल स्रोतों से जबकि शेष सतही जल संसाधनों, जैसे- नदियों, झीलों, जलाशयों इत्यादि से प्राप्त किया जाता है।
- वर्ष 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार, 21 प्रमुख शहरों के भू-जल संसाधन समाप्त होने की कगार पर थे। इससे लगभग 100 मिलियन लोग प्रभावित हुए। इस सूचकांक के अनुसार वर्ष 2030 तक जल की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होने का अनुमान है।

करता है।

कृषि

भारत में कृषि के लोकप्रिय व्यवसाय के लिए पानी आवश्यक है। पानी के अभाव में किसान फसल पैदा करने में असमर्थ हैं। 2019 में सूखे ने सर्दियों की फसलों के अलावा पूरक फसलों को भी नष्ट कर दिया। पानी की कमी ने भारत में बहुत सारी मूल्यवान कृषि भूमि को पूरी तरह से बेकार

इनका कहना है

जल संरक्षण में फसल विविधिकरण, प्राकृतिक खेती और ड्रॉप मोर क्रॉप की है महत्वपूर्ण भूमिकाः आदित्य शर्मा

जल संरक्षण वर्तमान समय में चिंता का विषय भी है और चर्चा का विषय भी, उसके अनेकों कारण हैं। लेकिन आज अगर सबसे अधिक चिंता है तो इस बात को लेकर कि वर्ष 2047 तक जल के बेहतर संरक्षण के लिए हम जल का प्रबंधन कैसे करें। जल के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से इंडस्ट्री, कृषि, पेयजल और पर्यावरण आदि क्षेत्रों में हम बेहतर प्रबंध के साथ जल का उपयोग करें तो निश्चित ही यह जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह कहना है केन्द्रिय जल आयोग के मुख्य अभियंता आदित्य शर्मा का। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत 2047 हेतु जल प्रबंधन विषय पर अपने विचार रखे। आदित्य शर्मा ने कहा कि फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, जल-संरक्षण पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। देश में ड्रॉप-मोर क्रॉप अभियान भी जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने भू-जल पुर्नभरण के लिए माइक्रो स्तर पर कार्य किये जाने को जरूरी बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विभिन्न संस्थानों से आमंत्रित विशेषज्ञ, रिसर्च स्कॉलर्स और शोधार्थी शामिल हुए।

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आवश्यकः डॉ. पीएल पटेल

वीएनआईटी भोपाल के निदेशक डॉ. पीएल पटेल ने कहा कि भू-जल में कमी के कारण नदियों के प्रवाह में विपरीत असर दिखाई पड़ रहा है। इसका कारण है कि जिन नदियों में गर्मी के मौसम में भी फ्लो होता था वो सूख गई हैं। उन्होंने जल संरक्षण के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी कोई भी नदी या जल संरचना बाहरी कारकों से प्रदूषित न हो। इसके लिए वॉटर मेनेजमेंट तथा सीवेज ट्रीटमेंट के क्षेत्र में संवेदनशीलता और सक्रियता से काम करने की आवश्यकता है।

जलाशयों में पानी की कमी चिंता का विषयः डॉ. केके खटुआ

एनआईटी राउरकेला के प्राध्यापक डॉ. केके खटुआ ने कहा कि आज के समय में जलाशयों की क्षमता में कमी हो रही है जो कि चिंता का विषय है और हमें इसे बढ़ाने की आवश्यता है।

कर दिया है और इन क्षेत्रों में कृषि उद्योग का अधिकांश हिस्सा बंद हो गया है। स्थानीय अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा लगभग ध्वस्त हो गया क्योंकि नागरिकों के पास प्रदूषित पानी का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इसका तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों में कमी से है, जिसने नागरिकों को नौकरियों की तलाश में शहरों की ओर

इनका कहना है

1200 क्यूबिक मीटर-सीएम हो सकती है: प्रो. एच.एल. तिवारी

प्रो. एच.एल. तिवारी ने कहा कि भोपाल जल-प्रबंधन का ऐतिहासिक रूप से अनूठा उदाहरण रहा है। राजा भोज द्वारा 10वीं शताब्दी में बनाई गई बड़ी झील आज भी भोपाल की एक तिहाई जनता को पेयजल की आपूर्ति कर रही है। प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 02 हजार जल संरचनाएँ हैं। प्रो. तिवारी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, तेजी से हो रहे शहरीकरण, पानी की बढ़ती मांग और जल प्रदूषण ने मिलकर पानी की प्रति व्यक्तिउपलब्धता को 5000 क्यूबिक मीटर-सीएम से घटाकर 1500 क्यूबिक मीटर-सीएम कर दिया है और वर्ष 2047 तक यह और कम होकर 1200 क्यूबिक मीटर-सीएम हो सकती है।

वैश्विक समस्या है पानी: मिथलेश कुमार सिंह, संस्थापक, वेज रूफ

पानी की समस्या वैश्विक है। जिस देश ने पानी की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है उसने उसका परिणाम भुगता है। पानी बचाने से ज्यादा जरूरी है पानी का सही इस्तमाल करना। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे हम छतों और वालकनी पर जो सब्जियां उगाते हैं, उसमें ड्रिप ईरिगेशन (पनि बचाने वाली विधि) का उपयोग करते हैं। इस विधि से जहां 100 प्रतिशत पानी लगना है, वहाँ 25 प्रतिशत पानी लगता है। जिससे 75 प्रतिशत पानी की बचत हो जाती है। पानी के बचाव और संरक्षण के लिए हमें अपनी जीवन शैली बदलने और जागरूक होने की जरूरत है। पानी जैसे प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के बारे में विशेष रूप से स्कूल में पढ़ाया जाना जरूरी है।

जलवायु परिवर्तन से बदल गई वर्षाऋतु: डॉ. सुभाष सिंह

केंद्रीय भूजल बोर्ड के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक डॉ. सुभाष सिंह ने कहा कि वर्षा, ग्लेशियरों या अंतर्राष्ट्रीय घाटियों के माध्यम से भारत में 04 हजार बिलियन क्यूबिक मीटर-बीसीएम पानी की उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन ने कम और अनियमित वर्षा के साथ वर्षा के पैटर्न को बदल दिया है जिसने इस फसल योग्य घटक को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और यह प्रक्रिया अब भी जारी है।

वर्षा जल संरक्षण से बढ़ेगा भूजल: चंदन नयाल

जल शक्ति मंत्रालय की ओर से वाटर हीरो के नाम से सम्मानित हो चुके ओखलकांडा के चंदन सिंह नयाल कहते हैं हमें पानी का बूंद-बूंद बचाना चाहिए। पहाड़ों में नाले धारे सूख रहे हैं। हमें उन्हें पुनर्जीवित करने की जरूरत है। वर्षा जल संरक्षण के लिए चाल खाल बनाने चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में लोगों को अमृत सरोवरों की तरह तालाब बनाने चाहिए।

जाने के लिए मजबूर किया। इस तरह की प्रवृत्ति पहले से ही तनावग्रस्त बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ाती है क्योंकि बड़े शहरों में पानी की मांग में वृद्धि जारी है। भारत चावल का एक प्रमुख निर्यातक है, जिसका अर्थ है कि भारत प्रतिवर्ष लाखों लीटर पानी निर्यात कर रहा है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसलें चावल, गेहूँ और गन्ना हैं। ये सबसे ज्यादा पानी की खपत करने वाली फसलें

हैं। चावल, जो एक प्रमुख फसल है, एक किलोग्राम अनाज के उत्पादन के लिए लगभग 3,500 लीटर पानी की खपत करता है। पंजाब, जो भारत में चावल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, चावल के उत्पादन के लिए पूरी तरह से भूजल पर निर्भर है, हालाँकि भूमि उत्पादकता के दृष्टिकोण से पंजाब का प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन वे जल उत्पादकता के मामले में पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्यों से पीछे हैं क्योंकि वे एक किलोग्राम चावल के उत्पादन के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल की तुलना में दो से तीन गुना अधिक पानी की खपत करते हैं। गन्ना भारत में पानी की अधिक खपत करने वाली एक और फसल है, जो महाराष्ट्र के किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय है क्योंकि उन्हें चीनी मिलों द्वारा विपणन का आश्वासन दिया जाता है। इस फसल को उगाने के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत भूजल है, जबकि बिहार जैसे राज्य जो गन्ने के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्तहैं, देश के कुल गन्ना उत्पादन का केवल 4 प्रतिशत ही पैदा करते हैं। गेहूं की खेती के अंतर्गत 74 प्रतिशत क्षेत्र और चावल की खेती के अंतर्गत 63 प्रतिशत क्षेत्र अत्यधिक जल संकट से जूझ रहे हैं। कृषि क्षेत्र में 2030 तक मांग-आपूर्ति का अंतर 570 बिलियन मी 3 तक पहुंचने का अनुमान है।

जलवायु परिवर्तन

मानसून को मौसमी उलटी हवा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके साथ वर्षा में भी परिवर्तन होता है। उत्तर-पूर्वी मानसून भारत में कुल वर्षा का 10-20 प्रतिशत वर्षा के लिए जिम्मेदार है, जबकि दक्षिण-पश्चिमी मानसून लगभग 80 प्रतिशत वर्षा प्रदान करता है। इसलिए, मानसून के मौसम पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारत में वर्षा में कमी और पानी की कमी के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। हाल के वर्षों में, भारत में मानसून अधिक छिटपुट हो गया है, साथ ही इसकी लंबाई भी कम हो रही है और इसलिए कुल वर्षा कम हो रही है। 2018 में, उत्तर-पूर्वी मानसून में 44 प्रतिशत की कमी आई और दक्षिण-पश्चिम मानसून में 10 प्रतिशत की कमी रही। ग्रीष्मकालीन दक्षिण-पश्चिम मानसून, जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर जून से सितंबर के महीनों में बारिश होती है। समुद्र के बढ़ते स्तर का आर्थिक प्रभाव भारत में काफी हद तक स्पष्ट है।

नदी प्रदूषण

दीर्घकालिक जल प्रबंधन योजना के अभाव के कारण देश की कई नदियाँ या तो सूख गई हैं या प्रदूषित हो गई हैं। हालाँकि भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक गंगा भी सबसे गंभीर रूप से प्रदूषित है। प्रदूषण ज्यादातर घनी आबादी वाले शहरों से अनुपचारित सीवेज, औद्योगिक कचरे के साथ-साथ नदी में और उसके आसपास धार्मिक समारोहों के कारण होता है। गंगा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पवित्र नदी है और धार्मिक त्योहारों के दौरान, 70 मिलियन से अधिक लोग गंगा में स्नान करते हैं। हालांकि गंगा नदी को 25 वर्षों के भीतर साफ करने के लिए 1984 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था, लेकिन नदी अभी भी अत्यधिक प्रदूषित है, जिसमें भारी धातुओं और घातक रसायनों का उच्च अनुपात है जो कैंसर का कारण भी बन सकते हैं।

भूजल निष्कर्षण और सिंचाई

भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता है, जिसने 2010 में 251 बिलियन क्यूबिक मीटर (251 क्यूबिक किलोमीटर, 203 मिलियन एकड़ फीट, 60 क्यूबिक मील) भूजल निकाला, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 112 बिलियन एम 3 भूजल निकाला गया। केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के अनुसार, 2007 से 2017 तक भूजल के निरंतर दोहन से भारत में भूजल स्तर में 61 प्रतिशत की कमी आई है। भूजल के अनियंत्रित और अनियमित निष्कर्षण ने जल संसाधनों को कम और दूषित कर दिया है, और इसलिए उन लोगों के लिए खतरा है जो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए इन जल स्रोतों पर निर्भर हैं।

पानी की बर्बादी

केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, भले ही जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा में कमी आई है और इस प्रकार जल आपूर्ति में कमी आई है, फिर भी देश में 1 बिलियन से अधिक लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्षा होती है। हालाँकि, खराब वर्षा जल संचयन के कारण भारत अपनी वार्षिक वर्षा का केवल 8 प्रतिशत ही एकत्र कर पाता है। तेजी से शहरीकरण के कारण, बढ़ती आबादी और शहर नियोजन दिशा-निर्देशों के अकुशल कार्यान्वयन के कारण पानी को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बहुत से तालाब नष्ट हो गए हैं। भारत पुनः उपयोग के लिए अपशिष्ट जल के उपचार में भी कमी कर रहा है। लगभग 80 प्रतिशत घरेलू अपशिष्ट जल को कचरे के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है और अन्य जल निकायों में प्रवाहित होता है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जैसे खारे पानी के स्रोतों की ओर ले जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि सीवेज उत्पादन 72,368 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) है जिसमें 31,841 एमएलडी (42 प्रतिशत) अपशिष्ट जल उपचार क्षमता है, जिसमें से केवल 20,235 एमएलडी (28 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था, जो कि परिचालन क्षमता का केवल 75 प्रतिशत है। शेष पानी को पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है जहां यह प्रदूषण करता है, बीमारियां फैलाता है और वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाता है। यह देखते हुए कि शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति किए गए 80 प्रतिशत पानी अपशिष्ट जल के रूप में वापस आता है यह विशेष रूप से प्रभावी होगा, यह देखते हुए कि भारत में पानी के उपयोग का 80 प्रतिशत कृषि में खर्च होता है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2021 में उपलब्ध अपशिष्ट जल से संभावित रूप से

28 मिलियन मीट्रिक टन चयनित उपज पैदा हो सकती है, जिसकी आय 966 बिलियन रूपये होगी। फिर भी, यह बताया गया कि केवल शीर्ष पांच राज्य स्थापित क्षमता का 60 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं, जबकि केवल दस राज्य उपचारित अपशिष्ट जल पुनः उपयोग नीति को लागू करते हैं। जैसा कि भारत ने 2014 से 2020 तक उपचार संयंत्रों की क्षमता में 40 प्रतिशत की वृद्धि की है, 2021 में 42 प्रतिशत उपचार क्षमता से 2050 तक अपशिष्ट जल की 80 प्रतिशत उपचार क्षमता तक क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।

गैर-सरकारी प्रयास

भारत में बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठन हैं जो प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों के लिए पानी की कमी की समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फोर्स और सेफ वाटर नेटवर्क जैसे कुछ संगठन भारत में जल संकट से निपटने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वी आर वाटर और यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी गांवों में बुनियादी जल आपूर्ति और स्वच्छता की समस्याओं को कम करने में बहुत सक्रिय हैं। अधिकांश गैर-सरकारी संगठन देश के अत्यधिक प्रभावित भागों के लिए सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और जल संसाधन परियोजनाएं स्थापित करने पर काम करते हैं।

सामाजिक जागरूकता बढ़ाना

अधिकांश गैर-सरकारी संगठन सामाजिक जागरूकता बढ़ाने को अपनी मुख्य जिम्मेदारियों में से एक मानते हैं। वे स्थानीय लोगों को यह सिखाने में सक्रिय रूप से शामिल हैं कि जल संसाधनों को कैसे संरक्षित किया जाए और नए जल संग्रहण स्टेशन स्थापित करके और अपनी सिंचाई तकनीकों में सुधार करके जल उपयोग दक्षता कैसे बढ़ाई जाए। वीआर वॉटर हर साल भारत में पानी की गंभीर कमी को प्रसारित करने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्में प्रकाशित करता है ताकि सामाजिक जागरूकता बढ़ाई जा सके। अपने वृत्तचित्रों में, वी आर वॉटर देश में पानी की कमी के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालता है और बताता है कि कैसे प्रत्येक नागरिक अपने घरों में पानी बचाने की दिशा में काम कर सकता है। ये दस्तावेज़ ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं क्योंकि निवासियों के पास सरकारी योजनाओं तक सीधी पहुँच नहीं है। जल भागीरथी फाउंडेशन भारत के सबसे प्रमुख गैर-लाभकारी संगठनों में से एक है जो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी के मुद्दों से निपटता है। फाउंडेशन ने 550 से अधिक गांवों को कवर किया है और इस क्षेत्र में 2000 से अधिक जल संचयन संरचनाओं को पुनर्जीवित किया है। संगठन का दावा है कि वह हर साल 4000 मिलियन लीटर से अधिक पानी का संचयन करता है और साथ ही 100 हेक्टेयर बंजर भूमि को सुधारता है। संगठन क्षेत्र के स्कूलों के साथ भी सक्रिय रूप से काम करता है, उन्हें सुरक्षित पानी और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करता है। जल भागीरथी फाउंडेशन जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी सक्रिय रूप से शामिल है और इसके प्रयासों के लिए इसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से छत्तीसगढ़ होने जा रहा नक्सलवाद मुक्त प्रदेश

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर मुख्यधारा में लौट रहे नक्सलवादी

समता पाठक

छत्तीसगढ़ धीरे-धीरे नक्सलवाद से मुक्त होने की कगार पर है। केन्द्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश में नक्सलवाद की समस्या खत्म हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर हजारों नक्सलवादी विकास की मुख्यधारा में लौट रहे हैं और आत्म समर्पण कर समाज से जुड़ रहे हैं। पिछले एक साल में ही सैकड़ों नक्सलियों का खात्मा हो चुका है तो हजारों ने आत्म समर्पण किया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक प्रदेश को नक्सलमुक्त करने का जो वादा किया है वह भी पूरा होने की उम्मीद होने लगी है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में 01 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2025 तक 13 महीनों में अब तक सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में 240 नक्सली मारे गए हैं। इनमें 25 लाख से एक करोड़ तक के इनामी नक्सली और उनके शीर्ष कैडर्स शामिल हैं जबकि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में मारे गए नक्सलियों की संख्या इनके अतिरिक्तहै। बस्तर संभाग के सुकमा,

बीजापुर और नारायणपुर जिले आबूझमाड़ में सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिले हैं जहां पर सुरक्षाबलों बड़े अभियान चलाए हैं। पिछले 13 महीनों में छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों की नक्सलियों की दस बड़ी मुठभेड़ हुईं। इनमें अब तक सीसीएम, एससीएम, डीकेएसजेडसी कैडर के नक्सली मारे जा चुके हैं। इन पर 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का इनाम घोषित था। हाल ही में मारे गये कुख्यात नक्सली नेता एक जैसे डीकेएसजेडसी (दंडरारण्य स्पेशल जोनल कमेटी), टीएससी कैडर के नक्सली मारे गए हैं। ये सभी 25-25 लाख रुपये के इनामी नक्सली थे। बीते 4 अक्टूबर 2024 को थुलथुली में हुई सबसे बड़ी मुठभेड़ में एक साथ 38 नक्सली मारे गये थे।

13 महीने में ये हुई 10 बड़ी मुठभेड़- वर्ष 20-21 जनवरी 2025, गरियाबंद में 16 नक्सली मारे गये। 16 जनवरी 2025, बीजापुर जिले पुजारी कांकेर मुठभेड़, 18 नक्सली ढेर। 22 नवंबर 2024, सुकमा जिले में 10 नक्सली ढेर। -04 अक्टूबर 2024, थुलथुली मुठभेड़, 38 नक्सली ढेर। 3 सितंबर 2024, दंतेवाड़ा में 9 नक्सली ढेर। 15 जून 2024, अबूझमाड़ में 8 नक्सली ढेर। 23 मई 2024, अबूझमाड़ के रेकावाया में 8 नक्सली ढेर। 10 मई 2024, बीजापुर के पामेड़ इलाके में 12 नक्सली ढेर। 29 अप्रैल 2024, नारायणपुर में 10 नक्सली ढेर। 16 अप्रैल 2024, कांकेर में

करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपती सहित रामचन्द्र उर्फ कार्तिक उर्फ दसरू उर्फ जीवन पद (एस.सी.एम.) ओडिशा स्टेट कमेटी सदस्य, सचिव पश्चिम ब्यूरो मारा गया है। बीजापुर जिले के जंगल में तेलंगाना सीमा पर 16 जनवरी को हुई मुठभेड़ में 50 लाख रूपये के इनामी नक्सली दामोदर को भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। इसी तरह रणधीर, नीति उर्फ निर्मला, जोगन्ना, दसरू, रूपेश, शंकर राव

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का दावा है कि पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा।

29 नक्सली ढेर। -02 अप्रैल 2024, बीजापुर के कोरचोली में 13 नक्सली मारे गये हैं। इन दस मुठभेड़ में छोटे-बड़े कैडर के 171 नक्सली मारे गए। इस तरह इन 13 महीनों में कुल 240 नक्सली मारे जा चुके हैं। इसमें कई बड़े कैडर्स के नक्सली भी शामिल हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का दावा है कि पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा।

मोदी-शाह का दो टूक: आत्मसमर्पण करो या खत्म कर दिए जाओगे

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अक्सर अपनी सभाओं में कहते हैं कि आने वाले 02 साल में नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे ! मोदी जी के तीसरे टर्म में नक्सलवाद से पूर्ण मुक्त होगा छत्तीसगढ़, ये मोदी की गारंटी है। अमित शाह ने कहा था, कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण नक्सलवाद का पालन पोषण किया। 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, 10 वर्ष के अंदर पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हुआ लेकिन छत्तीसगढ़ में बच गया क्योंकि यहां भूपेश की पंजा छाप सरकार थी। जब आपने विष्णुदेव साय को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर कहा था कि छत्तीसगढ़ में नक्सली अब सिर्फ3 जिलों तक ही सीमित रह गए हैं। वहीं अंबिकापुर में पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूँ माओवाद और नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा।

शाह के नक्सलवाद के खात्मे के लिए तय किए गये लक्ष्य को प्राप्त करने में केंद्र की सरकार एवं राज्य के सरकारों के बीच योजनाबद्ध तरीके से सटीक रणनीति का क्रियान्वयन शुरू है। सुरक्षाबलों के संयुक्त अभियान में उनके गढ़ में ही घेरने की नई बदली हुई रणनीति में जिलों के साथ ही अब

केंद्र की सरकार एवं राज्य के सरकारों के बीच योजनाबद्ध तरीके से सटीक रणनीति का क्रियान्वयन शुरूहै।

02 राज्यों की सीमा पर भी अपनाई जा रही है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि पुलिस को अगर सूचना मिलती है कि दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा सीमा पर किसी इलाके में नक्सलियों का जमावड़ा है तो तीनों जिलों की फोर्स को अभियान पर रवाना किया जा रहा है। बीजापुर की टीम के

साथ मुठभेड़ होती है और नक्सली दंतेवाड़ा की तरफ भागते हैं तो यहां दंतेवाड़ा की फोर्स घेरकर मार रही है। ऐसे ही सुकमा की तरफ भागते हैं तो सुकमा में मोर्चा संभालकर बैठे जवान उनको मुठभेड़ में ढेर कर रहे हैं। यह रणनीति छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा की सीमा पर भी अपनाई जा रही है। सुरक्षाबलों के संयुक्त अभियान से नक्सलियों को बार-बार एक जगह से दूसरे ठिकाने के लिए नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, तो कइयों ने आत्मसमर्पण कर दिया। वर्तमान में यहां नक्सलियों की स्माल एक्शन टीम और मिलिशिया कैडर के नक्सलियों की सक्रियता थोड़ी बहुत दिखती रहती है। वहीं बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर में आज भी जवानों के लिए नक्सली चुनौती बने हुए हैं। इन इलाकों में नए कैंप भी स्थापित किए गए हैं। इन जिलों से ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना की सीमा लगती है।

अबूझमाड़ और पामेड़ का इलाका नक्सलियों के सबसे सुरक्षित पनाहगाह के रूप में जाना जाता था। लेकिन, वर्ष 2024 में जवानों ने इन इलाकों में भी दस्तक दी और नक्सलियों को मार गिराया। अब भी पोलित ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी के नक्सलियों की यहां मौजूदगी है। वहीं बस्तर और कोंडागांव जिले में नक्सली गतिविधियां एवं नक्सल घटनाएं न के बराबर हो गई हैं। जबकि कांकेर में नक्सलियों की

भागना पड़ रहा है, इससे सुरक्षाबलों को नक्सलियों के ठिकाने आसानी से मिल रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि दंतेवाड़ा जिले से नक्सलियों का लगभग सफाया हो गया है। यहां दरभा डिवीजन, कटे कल्याण एरिया कमेटी, मलांगेर और इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सली सक्रिय थे। यहां डीवीसीएम (डिवीजनल कमेटी मेंबर), एसीएम (एरिया कमेटी मेंबर) जैसे बड़े कैडर्स के कई

छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा की सीमा पर भी अपनाई जा रही है। सुरक्षाबलों के संयुक्त अभियान से नक्सलियों को बार-बार एक जगह से दूसरे ठिकाने के लिए भागना पड़ रहा है

गतिविधिया देखने को मिलती है। कुछ महीने पहले कांकेर के छोटे बेठिया इलाके में नक्सलियों के गढ़ में घुसकर जवानों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था। बस्तर में लगातार हो रहे मुठभेड़ों के कारण बड़े नक्सली लीडर्स छिपने के लिए अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। ऐसी जानकारी है कि पामेड़ एरिया में सक्रिय नक्सली अबूझमाड़ में छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा की ओर चले गए हैं, जबकि अबूझमाड़ के कुछ बड़े

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहाः सीएम विष्णु देव साय

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य में यदि नक्सली गोली-बारूद की भाषा ही समझेंगे तो सरकार उसी भाषा में जवाब देगी। हालांकि जो बातचीत का रास्ता चुनेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते हुए केंद्रीय गृहमंत्री के बयान को अमलीजामा पहनाने का काम शुरू भी कर दिया गया जिसका परिणाम आज सबके सामने है। नक्सलियों के सरेंडर पर सीएम साय ने कहा कि हमारी नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति - 2025 का परिणाम है कि बीजापुर जिले में कुल 50 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जाना ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर अब बदल रहा है, और यह बदलाव स्थायी होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि बस्तर के लोग अब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन इस जनभावना के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के जवानों की मजबूत कार्रवाई के कारण निरंतर सफलता मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पिछले 15 महीनों से राज्य में डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों से जुड़ी योजनाएँ, और 70 लाख माताओं और बहनों को हर महीने 1000 रूपए देने वाली महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से मोदी की गारंटी को पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम जनमन योजना के माध्यम से अबुझमाड़िया, कोरवा, बिरहोर, पंडो जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों तक सड़क, बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं पहुँचाई जा रही हैं।

नक्सली लीडर्स गरियाबंद और ओडिशा में अपना नया ठिकाना बना रहे हैं।

टीसीओसी में अब नक्सलियों को ही घेरा जा रहा है

माओवादियों के कैलेंडर में अलग-अलग समय पर अलग-अलग अभियान चलाए जाते हैं। जिसमें शहीदी सप्ताह, पीएलजीए स्थापना दिवस, महिला दिवस और टीसीओसी जैसे कार्यक्रम व अभियान होते हैं। इसमें टीसीओसी मतलब टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन जिसमें माओवादी जंगलों जवानों पर बड़ा हमला करने के लिए

जाने जाते हैं। बस्तर में अधिकतर बड़ी घटनाएं टीसीओसी के अंतर्गत की गई हैं, जिसमें ताड़मेटला, बुर्कापाल, मीनपा, झीरम, टेकलगुडम जैसी घटनाएं हैं। इन घटनाओं में बड़ी संख्या में माओवादियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाया है। पर बीते कुछ समय से देखा जाए तो जवानों ने उनके टीसीओसी अभियान के दौरान स्वयं को सुरक्षित रखते हुए माओवादियों को ही बड़ा नुकसान पहुंचाया।

सभी जवानों के परिश्रम से मिल रही सफलता

सफलता में तैनात सभी सुरक्षाबल जिसमें डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा, आईटीबीपी और बीएसएफ शामिल हैं। सभी के परिश्रम से यह सफलता मिल रही है। सभी सुरक्षाबल लगातार अंदरूनी इलाकों में कैम्प स्थापित करने के साथ साथ ग्रामीणों में सुरक्षा और विकास के प्रति भरोसा स्थापित कर रहे। इसी वजह से अब माओवादियों से संबंधित और भी ज्यादा सटीक जानकारी मिल रही और जवान माओवादियों को उनके ही गढ़ में घुसकर उन्हें निशाना बना रहे हैं। बस्तर से काफी हद तक नक्सली बैकफुट पर हैं। नक्सलियों के कोर इलाके तक पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। तेलंगाना, ओडिशा के बड़े कैडर्स भी मुठभेड़ में मारे गए हैं, जो सुरक्षाबलों के लिए बड़ी सफलता है। साथ ही नक्सलियों के अंदरूनी आधार वाले इलाकों में सुरक्षाबलों के नए-नए कैंप भी स्थापित किए गए हैं, जिससे नक्सली बैकफुट पर हैं। बस्तर में पिछले 13 महीनों में फोर्स ने लगभग 240 से अधिक नक्सली मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, इसमें कई बड़े कैडर्स के नक्सली भी शामिल हैं।

बस्तर में लगातार हो रहे एक्शन

वर्ष 2024 में कुल 787 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से अधिकतर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और इसकी विशेष कमांडो इकाई कोबरा द्वारा किए गए प्रयासों के कारण हुए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षाबल के जवान लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बीजापुर में 50 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। यह इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई है।

गरीबों का अपना आदमी: डॉ. राम मनोहर लोहिया

रघु ठाकुर

50 के दशक से डॉ. लोहिया ने जिन बातों को कहना शुरू किया था वे समाज को बदलने वाली थी और भारतीय राजनीति के जड़ बन रहे चरित्र पर चोट करने वाली थी। आजादी और महात्मा गाँधी की मृत्यु के बाद विशेषत: जिस प्रकार कांग्रेस क्रमश: सत्ता लोलुप, अवसरवाद, परिवारवाद और राजनैतिक पतन के रास्ते पर जाने लगी थी और देश को गाँधी के रास्ते से भटकाने लगी थी ऐसे दौर में डॉ. लोहिया ने उन कमजोरियों को उजागर किया और उन्हें सुधारने के उपाय भी बताए। सात क्रांतियों के माध्यम से लोहिया ने कहा कि आज दुनिया को सात क्रांतियां जरूरी है:- आर्थिक-राजनैतिक-सामाजिक-लेगिंक-रंग आधारित, विषमताओं को मिटाना, विकेन्द्रीकरण-निशस्तीकरण और विश्व संसद। लोहिया प्रखर राष्ट्रवादी थे परन्तु अपने आप को विश्व नागरिक मानते थे। वे चाहते थे कि दुनिया की चुनी हुई संसद बने और दुनिया एक राजनैतिक इकाई बन जाए।

लोहिया ने सिद्धांत दिया कि कथनी और करनी में एकता होना चाहिए। यानि बोली अलग और आचरण अलग इस फर्क को मिटाना जरूरी है। आमतौर पर राजनेता भाषणों में बहुत उदार और मीठे होते है, परन्तु आचरण भिन्न होते है। भारतीय राजनीति की इस फैलती महामारी के प्रति लोहिया ने देश को सावधान किया और एक अर्थ में गाँधी जी के और उनके बताए सत्य के मार्ग की ओर मोड़ने का प्रयास किया।

यह वह काल था जब भारतीय राजनीति राजनैतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। दलों के नेतृत्व स्वयं भू निर्णायक और निरंकुश बन रहे थे। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा शुरू हो चुकी थी और शीर्ष व जमीन के रिश्ते टूट रहे

थे। एक तरफ दलों में आंतरिक लोकतंत्र के प्रति उनकी चिंता थी और दूसरी तरफ आंतरिक लोकतंत्र का अर्थ एक प्रकार की अराजक आजादी में न बदल जाए यह भी उनकी चिंता थी। इसलिए डॉ. लोहिया ने राजनैतिक सिद्धांत गढ़ा और कहा कि वाणी की स्वतंत्रता होना चाहिए और कर्म पर नियंत्रण होना चाहिए। याने दल के भीतर कार्यकर्ता को बोलने की पूर्ण आजादी हो इस आजादी को लेकर वह नेतृत्व का कोपभाजन न बने और एक बार जो निर्णय बहुमत से हो जाए तो फिर उसका पालन हो।

राजनीति और धर्म के रिश्तों को लेकर भी देश में एक प्रकार की बहस शुरू हुई थी। राजनैतिक दलों में एक धड़ा था जो मार्क्स की तर्ज पर धर्म को अफीम घोषित कर सम्पूर्णतः नकारना चाहता था और दूसरी तरफ एक जमात थी जो धर्म को पाषण पूजा-परम्पराओं और कट्टरताओं में जकड़ कर रखना चाहती थी। इस द्वन्द का मार्ग भी लोहिया ने अपने एक कथन से बताया कि, राजनीति अल्पकालीन धर्म है, और धर्म दीर्घकालीन राजनीति याने लोहिया ने समाज को बदलने के लिए कम समय और कुछ समय के सिद्धांत कमोवेश स्थाई व शाशत नैतिक मूल्य के बीच संतुलन साधना राजनीति का प्रमुख कर्म है, निरूपित किया था। देश के सामने उपस्थित गैर बराबरियों को मिटाना- इंसान इंसान के फर्क को मिटाना, समता और सम्पन्नता को एक साथ एक बराबरी पर रखना उनका लक्ष्य था। यह राजनीति के लिए धर्म मूल्य थे और धर्म का काम एक नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर आधारित व्यक्ति और समाज का निर्माण करना याने दीर्घकालीन राजनीति। इसलिए लोग याने समाज में प्रचलित ईश्वरीय प्रतीकों को एक नये द्रष्टिकोण से प्रस्तुत किया। जिसमें उनके उन गुणों या मूल्यों को स्वीकार कर लिया जाए जो समाज हेतु अनुकूल है और जो गैर जरूरी घटनाएं या सूचनाएं है उन्हें छोड़ दिया जाए। इसलिए लोहिया ने कहा कि, हमें नीर, क्षीर, विवेक को कसौटी बनाना चिहए। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार-सार को गहि रहे धोथा देय उड़ाए लोहिया ने भारतीय जीवन में घुले मिले राम, कृष्ण, शिव को इसी कसौटी पर रखकर स्वतः नास्तिक होते हुए भी उपयोगितावादी, आस्तिकता का मार्ग बताया।

लोहिया ने महात्मा गाँधी के द्वारा बताई गई आखिरी पंक्ति के आखिरी आदमी को उठाने की कसौटी को जमीन पर उतारा। उन्होनें 50 के दशक से ही दूरस्थ और संघन वनाचलों में रहने वाले आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना सिखाया। बच्चों से लेकर बड़ों तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक के सभी वन क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों को अपने समतावादी आंदोलन से जोड़ा। आदिवासियों की जमीन के अधिकार-उनकी सभ्यता का संरक्षण सिखाकर लोहिया ने लगभग देश के सभी आदिवासी अंचलों में नये आदिवासी नेतृत्व को खड़ा किया। उन्होंने हिन्द किसान पंचायत के नाम से किसानों का संगठन खड़ा कराया और कृषि क्षेत्र की बुनियादी या मानवीय समस्याओं के हल को सामने रखकर दाम बांधो नीति, फसलों का उतार-चढ़ाव-शहरों और गाँव के बीच का फर्क मिटाना आदि लक्ष्य हिन्द किसान पंचायत के माध्यम से प्रस्तुत किए। और जगह-जगह जन आंदोलन खड़े किए। उन्होंने निजी क्षेत्र की लूट और संगठित क्षेत्र के भ्रष्टाचार पर उंगली उठायी व दोनों की कमियों और अच्छाईओं को उजागर कर संतुलित समाजवादी व्यवस्था, सरकारीकरण के बजाय सहकारीकरण का मार्ग बताया।

लोहिया ने न केवल गरीबों, उपेक्षितों और वंचितों के साथ रिश्ता जोड़ा, उनकी पीड़ाओं को उकेरा, उनके हल सुझाएं-उन्हें बोलने की जबान दी और उनके आत्म विश्वास को जगाने के लिए ऐसे प्रतीक खड़े किए जो उन वंचित समाजों में उत्साह पैदा कर सके। लोहिया ने आज के छत्तीसगढ़ के वनांचल जो कि सिहावा नगरी के नाम से जाना जाता है, जो उनके काल में याने आज से लगभग 70 वर्ष पहले एक दुगर्म और अगम्य स्थान जैसा था वहाँ जाकर आदिवासियों को जमीन के अधिकार के प्रति जागरू क किया। इस आंदोलन में शहीद सुखराम नागे, समरीन बाई, विसाईन बाई, मगलूराम जैसे सेकड़ों संघर्षशील आदिवासियों नेताओं को तैयार किया और उस काल के दौरान जो आदिवासी शहरी

लोहिया ने महात्मा गाँधी के द्वारा बताई गई आखिरी पंक्ति के आखिरी आदमी को उठाने की कसौटी को जमीन पर उतारा। उन्होनें 50 के दशक से ही दूरस्थ और संघन वनाचलों में रहने वाले आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना सिखाया। बच्चों से लेकर बड़ों तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक के सभी वन क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों को अपने समतावादी आंदोलन से जोड़ा।

बाबू को देखकर डरकर छुप जाता था उसे बोलना, लड़ना सिखाया उसमें आत्मविश्वास जगाया और उसे वैश्विक बराबरी से जोड़ा। लोहिया ने राय बरेली में स्व. फिरोज गाँधी के खिलाफ स्व. नंद किशोर नाई को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से महारानी विजया राजे सिंधिया के खिलाफ सुक्खोरानी नामक जमादारीन को खड़ा किया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ खुद खड़े हुए और एक गरीब व्यक्ति भी प्रधानमंत्री और राजा-महाराजा के खिलाफ खड़ा हो सकता है, यह आत्मविश्वास पैदा किया।

देश के गरीबों के साथ किसान, मजदूरों के साथ उनका नाता इतना गहरा बन चुका था यह उस समय नज़र आया जब लोहिया बीमार होकर दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। रीवा की एक पान बेचने वाली महिला लोहिया के बीमारी के दिन से अपनी दुकान बंद कर दिल्ली पहुंची थी और तत्कालीन विलिंगडन अस्पताल के सामने फुटपाथ पर दिन-रात बैठकर लोहिया के स्वस्थ होने का इंतजार करती थी। लोहिया की मृत्यु तक वह दिल्ली में ही रही घर वापिस नहीं आई। ऐसे कितने ही गरीबों को लोहिया के अस्पताल से वापिस आने का इंतज़ार था कि लोहिया स्वस्थ होकर वापिस आयेंगे और फिर संसद और संसद के बाहर गरीबों की आवाज उठायेंगे। यह दुर्भाग्य ही था कि उन सभी की आशा पूरी नहीं हुई। लोहिया जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे थे। अर्ध बेहोशी की हालात में भी जब वे बोलते थे तो पूछते थे कि उ.प्र. के किसान आन्दोलन का क्या हुआ? किसानों की माँगों का क्या हुआ? ऐसा किसानों का हमदर्द कौन हो सकता है? वह हर विषमता के खिलाफ थे, इसलिये उन्होंने अपना इलाज एक सरकारी अस्पताल में कराया, जहाँ की चिकित्सा बहुत ही सामान्य स्तर की थी।

लोहिया यह जानते थे कि वह जिन बातों को उठा रहे है, वे तत्कालीन समाज से बहुत आगे की है। परन्तु वह यह भी जानते थे कि आज या कल देर सवेरे समाज को इन बातों को स्वीकार करना होगा। आज से 70 वर्ष पहले नर-नारी की समानता की बात को उठाना, भारत के लिये मजबूत बनाने को सावित्री नहीं द्रौपदी चाहिये जिसमें बोलने की क्षमता हो, मुकाबला करने की क्षमता हो, साहस हो, यह लोहिया कह रहे थे। अपने विचारों के प्रति उनका विश्वास इतना गहरा था कि अन्ततः समाज को इन्हें स्वीकार करना ही होगा। इसलिये उन्होंने कहा कि लोग मेरी बात सुनेंगे, शायद मेरे मरने के बाद पर सुनेंगे जरू र। उनके पास धन, मकान, सम्पत्ति नहीं थी, न इनकी उन्हें दरकार थी। उनकी सबसे बड़ी पूँजी तो गरीबों का, दुखियों का उनके प्रति विश्वास था। इसलिये उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई पूँजी नहीं है सिवाय इसके कि गरीब मुझे अपना आदमी मानते है।

लोहिया की बात फिर सही होती दिख रही है, न केवल देश ने बल्कि दुनिया ने लोहिया को पढ़ना, खोजना और समझना शुरूकिया है। कांग्रेस भी अब इस बात को महसूस करने लगी है कि लोहिया का विरोध व्यक्ति का विरोध नहीं किसी संस्था का विरोध नहीं बल्कि उन उभरती हुये राजनैतिक विकृतियों का विरोध था जो सम्पूर्ण राजनीति को बिगाड़ती है, और बदलाव के हथियार को मौथरा करती है। यह भी अच्छा संकेत है कि, अब देश व कांग्रेस के लोगों ने लोहिया के आजादी के आन्दोलन को स्वीकारना शुरू किया है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी 2020 के संदेश में आजादी के आन्दोलन के नायकों में लोहिया का उल्लेख किया है, इसके लिये वे साधुवाद के पात्र है। इतिहास को न मिटाया जा सकता, न दबाया जा सकता बल्कि भविष्य को सुधारने का उपाय बनाया जा सकता है।

मुस्लिम आरक्षण का खेल खेलती कांग्रेस

प्रमोद भार्गव

कर्नाटक में मुसलमानों को सार्वजनिक ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर संसद में भारी हंगामा हुआ। भाजपा सांसदों ने इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण देगी। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि मुस्लिमों का ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण बरकरार रखने के लिए जरूरत पड़ी तो संविधान में भी बदलाव करेंगे। रिजिजू ने इस मुद्दे को बारी-बारी से संसद के दोनों सदनों में उठाया। इसे लेकर भारी हंगामा हुआ। इस मुद्दे का समर्थन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को बदलना चाहती है, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। परंतु कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ऐसा करने जा रही है। संविधान बदलने का बयान संवैधानिक पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति ने दिया है, जिसे हल्के से नहीं लिया जा सकता है। यही नहीं कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार ने ओबीसी, एससी और एसटी के युवाओं का हक मारकर मुसलमानों को 4.5 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया था। जबकि हमारे संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की कोई जगह नहीं है। अतएव इस तरह के प्रयास संविधान निर्माताओं की देशहित से जुड़ी इच्छाओं के विरूद्ध हैं। बावजूद कांग्रेस मुस्लिमों को धर्म आधारित आरक्षण देने का तुष्टिकरण से जुड़ा खेल निरंतर खेलती आ रही है।

कांग्रेस की सोच हमेशा से तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 से 2010 के बीच में कांग्रेस ने चार

बार आंध्रप्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वे अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाए? दरअसल यह कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट था, जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। अल्पसंख्यक बनाम मुस्लिमों को पिछड़ों, दलित और आदिवासियों के संविधान में निर्धारित कोटा के अंतर्गत 4.5 प्रतिशत आरक्षण देने की केंद्र सरकार की मंशा हमेशा रही है। लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप के चलते इस मंशा को पलीता लगता रहा है। इस आरक्षण को लेकर आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के बाद देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रूख अपनाते हुए आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध दायर आपील को खरीज कर दिया था। केंद्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश चाहती थी। इस मंशा के विपरीत कोर्ट ने सरकार से यह और स्पष्ट करने को कहा था कि वह बताए की उसने किस आधार पर अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया? कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्या इस तरह कोटे में उप कोटा आरक्षित करने का सिलसिला चलता रहेगा ?

दरअसल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्म के आधार पर आरक्षण का लाभ संविधान के विरूद्ध बताया था। दिसम्बर 2011 के बाद से शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन केंद्र सरकार ने कुटिल चतुराई से ओबीसी के कोटे में खासतौर से मुस्लिमों को लुभाने के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान कर दिया था। इसे आंध्र उच्च न्यायालय ने अस्वीकारते हुए साफ किया था कि कोटा के अंतर्गत उप कोटा दिए जाने का प्रावधान अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए दिया गया है। इसे कानूनी रूप देते हुए कहा गया है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित और अल्पसंखयकों के लिए जैसे वाक्यों का जो प्रयोग किया गया है वह असंगत है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। इस फैसले का व्यापक असर होना तय था। क्योंकि यह प्रावधान आईआईटी जैसे केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में भी लागू हो गया था। बहरहाल न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस का मुस्लिमों को लुभाने वाले नुस्खे पर पानी फिर गया था।

वंचित समुदाय वह चाहे अल्पसंख्यक हों अथवा गरीब सवर्ण, उनको बेहतरी के उचित अवसर देना लाजिमी है, क्योंकि किसी भी बदहाली की सूरत, अल्पसंख्यक अथवा जातिवादी चश्मे से नहीं सुधारी जा सकती? खाद्य की उपलब्धता से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी ठोस मानवीय सरोकार हैं, उनको हासिल करना मौजूदा दौर में केवल पूंजी और शिक्षा से ही संभव है। ऐसे में आरक्षण के सरोकारों के जो वास्तविक हकदार हैं, वे अपरिहार्य योग्यता के दायरे में न आ पाने के कारण उपेक्षित ही रहेंगे। अलबत्ता आरक्षण का सारा लाभ वे बटोर ले जाएंगे जो आर्थिक रूप से पहले से ही सक्षम हैं और जिनके बच्चे पब्लिक स्कूलों से पढ़े हैं। इसलिए इस संदर्भ में मुसलमानों और भाषायी अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की वकालात करने वाली रंगनाथ मिश्र आयोग की रिर्पाट के भी कोई बुनियादी मायने नहीं रह गए थे? यह रिपोर्ट भी मुसलमानों को संवैधानिक प्रावधानों में आरक्षण जैसे विकल्प खोलने के लिए तैयार कराई गई थी।

संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राष्ट्र किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। इस दृष्टि से संविधान में विरोधाभास भी हैं। संविधान के तीसरे अनुच्छेद, अनुसूचित जाति आदेश 1950 जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार केवल हिंदू धर्म का पालन करने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्तिको अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में अन्य धर्म समुदायों के दलित और हिंदू दलितों के बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा है, जो समता और सामाजिक न्याय में भेद करती है। इसी तारतम्य में पिछले पचास सालों से दलित ईसाई और दलित मुसलमान संघर्षरत रहते हुए हिंदू अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले अधिकारों की मांग करते चले आ रहे हैं। रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट इसी भेद को दूर करने की पैरवी करती है।

वर्तमान समय में मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध ही अल्पसंख्यक दायरे में आते हैं। जबकि जैन, बहाई और कुछ दूसरे धर्म-समुदाय भी अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जैन समुदाय केन्द्र द्वारा अधिसूचित सूची में नहीं है। इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों को अधिसूचित किया गया है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक माना गया है। परंतु इन्हें अधिसूचित करने का अधिकार राज्यों को है, केन्द्र को नहीं। इन्हीं वजहों से आतंकवाद के चलते अपनी ही पुश्तैनी जमीन से बेदखल कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं। मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार के दौरान जैन धर्मावलंबियों को भी अल्पसंख्यक दर्जा दिया था, लेकिन अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाओं से ये आज भी वंचित हैं। इस नाते अल्पसंख्यक श्रेणी का अधिकार पा लेने के क्या राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक निहितार्थ हैं, इन्हें समझना मुश्किल है। यहां तक कि आर्थिक रूप से कमजोर जैन धर्मावलंबियों के बच्चों को छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाती हैं।

अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का आधार जिस मिश्र आयोग को बनाया गया था, उसका गठन जांच आयोग के तहत नहीं हुआ था। दरअसल इस रपट का मकसद केवल इतना था कि धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर व पिछड़े तबकों की पहचान कर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण सहित अन्य जरूरी कल्याणकारी उपाय सुझाये जाएं। जिससे उनका सामाजिक स्तर सम्मानजनक स्थिति हासिल कर ले। इस नजरिये से सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों का औसत अनुपात बेहद कम है। गोया संविधान में सामाजिक और शैक्षिक शब्दों के साथ पिछड़ा शब्द की शर्त का उल्लेख किये बिना इन्हें पिछड़ा माना जाकर अल्पसंख्यक समुदायों को 15 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसमें से 10 फीसदी केवल मुसलमानों को और पांच फीसदी गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दिए जाने का प्रावधान तय हो। शैक्षिक संस्थाओं के लिए भी आरक्षण की यही व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। यदि इन प्रावधानों के क्रियान्वयन में कोई परेशानी आती है तो पिछड़े वर्ग को आरक्षण की जो 27 प्रतिशत की सुविधा हासिल है, उसमें कटौती कर 4.5 प्रतिशत की दावेदारी अल्पसंख्यकों की तय हो? हालांकि वर्तमान में कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों को आरक्षण की सुविधा दी जा रही है। चूंकि सच्चर समिति की रिपोर्ट मिश्र आयोग के गठन से पहले आ गई थी इसलिए इस रिपोर्ट को विपक्ष सच्चर समिति को अमली जामा पहनाने के रूप में भी देखा था। सच्चर और मिश्र रिपोर्टों में फर्क इतना है कि सच्चर का आकलन केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित था, जबकि मिश्र आयोग ने सभी अल्पसंख्यक समुदायों और उनमें भी दलितों की बदहाल स्थिति का ब्यौरा दर्ज किया है।

कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण का खेल, खेलते-खेलते निरंतर सिमटती जा रही है, बावजूद वह इस खेल से बाहर नहीं आना चाहती। यह स्थिति देश की एक बड़ी पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

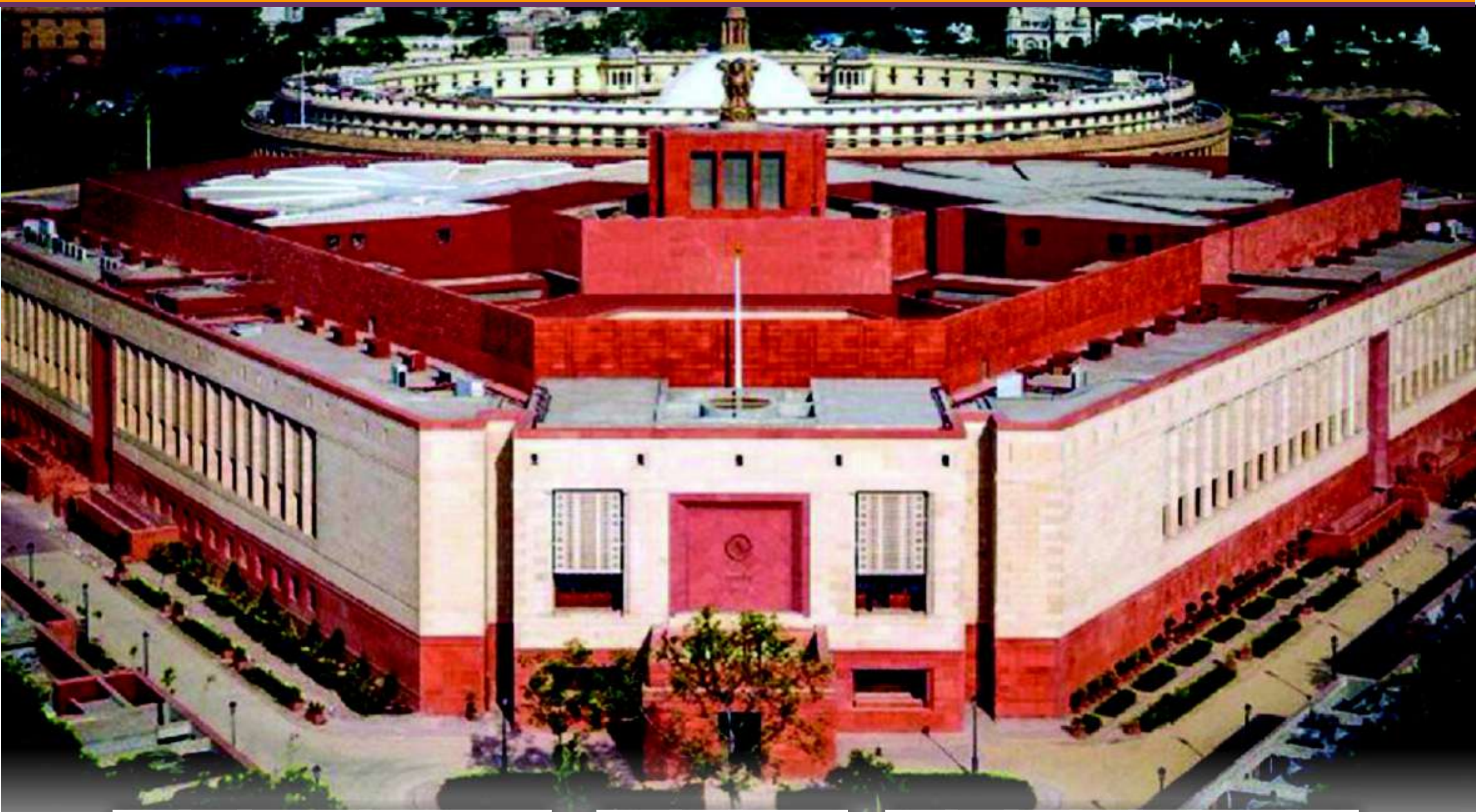

वक्फ पर बवाल

काफी बवाल और विरोध के बीच वक्फ संशोधन अधिनियम देशभर में लागू हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस ने इस बिल को लेकर ध्यान केन्द्रित किया। मोदी सरकार ने इस बिल को पास कराने में बहुत पापड़ बेलने पड़े। लेकिन सरकार की मंशा थी कि किसी भी स्थिति में इस बिल को संसद के दोनों सदनों में इसे पास कराना है और देश में लागू करना है। जबकि आखरी तक विपक्ष यह मानता रहा कि बिल पास नहीं हो सकता है। खासकर मोदी सरकार ने सहयोगी दल इसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि वक्फ अधिनियम को 08 अप्रैल 2025 से प्रभावी कर दिया गया है। संसद और राष्ट्रपति ने वक्फ संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन कानून आठ अप्रैल से प्रभावी होगा। इस बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय भी दो धड़ों में बंटा है। एक वर्ग समर्थन में है तो एक वर्ग विरोध में है। कानून में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि वक्फ द्वारा उपयोगकर्ता का खंड हटाया गया है और यह साफ किया गया है कि वक्फ संपत्ति से संबंधित मामले अब पूर्वव्यापी तरीके से नहीं खोले जाएंगे, जब तक कि वे विवादित न हों या सरकारी संपत्ति न हों। इसके अलावा वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का समर्थन किया गया है, ताकि वे वक्फ मामलों में रूचि रखने वाले या विवादों में पक्षकार बन सकें। वक्फ कानून, 1995 के तहत वक्फ न्यायाधिकरण को सिविल कोर्ट की तरह काम करने की स्वतंत्रता दी गई थी। इसका फैसला अंतिम और सर्वमान्य माना जाता था। इन्हें किसी भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी सकती थी। ऐसे में वक्फ न्यायाधिकरण की ताकत को सिविल अदालत से उपर माना जाता था। हालांकि कानून में अब वक्फ न्यायाधिकरण के गठन के तरीके को भी बदला जा रहा है। इसमें कहा गया है कि वक्फ न्यायाधिकरण में एक जिला जज होगा और एक संयुक्त सचिव रैंक का राज्य सरकार का अधिकारी सदस्य के तौर पर जुड़ा होगा। वक्फ संशोधन विधेयक में कहा गया कि न्यायाधिकरण का फैसला अंतिम नहीं होगा और इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी।

विजया पाठक

विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल पहले लोकसभा से फिर राज्यसभा से पारित हो गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) बिल को मंजूरी भी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है। अब इसके आगे की राह कैसी होगी ये कई मायनों में अहम है। अब वक्फ कानून कब तक लागू होगा ये सरकार पर निर्भर करता है क्योंकि कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक

नोटिफिकेशन जारी करेगी और यह कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस नए कानून को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के नाम से जाना जाएगा, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पंजीकरण और सरकारी जमीनों पर दावों को लेकर सख्त नियम लागू करता है। यह कदम वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है। यह बिल भारी बहस के बाद पास हुआ था। लोकसभा में 288 वोटों से और राज्यसभा में 128 वोटों से इसे मंजूरी मिली। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इस बिल का समर्थन किया, जबकि विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। सरकार का दावा है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा और इनके असली मालिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।

वक्फ एक्ट में क्या-क्या बदल जाएगा?

नए कानून के तहत अब कोई भी वक्फ संपत्ति बिना लिखित दस्तावेज के दर्ज नहीं होगी। साथ ही, सरकारी जमीनों को वक्फ संपत्ति के तौर पर दावा करने पर रोक लगाई गई है। अगर कोई जमीन विवादित या सरकारी निकली, तो उसे वक्फ में दर्ज नहीं किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर को जांच का अधिकार दिया गया है। वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्योरा अब ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा, जिसे 06 महीने के भीतर लागू करना है। कानून में बोहरा और अघाखानी समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी प्रावधान है।

यह बिल भारी बहस के बाद पास हुआ था। लोकसभा में 288 वोटों से और राज्यसभा में 128 वोटों से इसे मंजूरी मिली। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इस बिल का समर्थन किया, जबकि विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। सरकार का दावा है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा और इनके असली मालिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।

वक्फ बोर्ड कानून क्या है?

इस बिल का मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करना है। सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई खंडों को रद्द करना है। ये रद्दीकरण मुख्य रूप से वक्फ बोर्ड के मनमाने अधिकार को कम करने के मकसद से किया जा रहा है, जो वर्तमान में उन्हें अनिवार्य सत्यापन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने की अनुमति देता है।

मूल रूप से 2024 में पेश किए गए इस विधेयक की संयुक्तसंसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा जांच की गई। व्यापक समीक्षा प्रक्रिया और सार्वजनिक परामर्श के बाद, इसे लोकसभा और राज्यसभा में उम्मीद विधेयक (एकीकृत प्रबंधन सशक्तीकरण दक्षता और विकास) के रूप में पारित किया गया। अगली कार्रवाई विधेयक के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति है, जिसके बाद यह एक कानून बन जाएगा।

साथ ही, वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं की नियुक्ति सुनिश्चित की गई है। वक्फ संपत्तियों के सर्वे का जिम्मा अब सर्वे कमिश्नर की जगह कलेक्टर को सौंपा गया है। इस बदलाव से वक्फ संपत्तियों पर पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है, हालांकि विपक्ष इसे धार्मिक मामलों में दखल बता रहा है। सरकार का कहना है कि यह कानून देशहित में है और इससे वक्फ प्रणाली मजबूत होगी। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 भारतीय लोकसभा में 08 अगस्त 2024 को पेश किया गया। यह मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करने और वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का प्रयास करता है। अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है। अधिनियम ने अधिनियम का नाम बदलकर

वक्फ संपत्ति क्या है?

वक्फ एक ऐसी संपत्ति है जिसे मुस्लिम किसी खास धार्मिक, धर्मार्थ या निजी उद्देश्य के लिए दान करते हैं। संपत्ति का स्वामित्व ईश्वर का माना जाता है, जबकि इसका लाभ निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए दिया जाता है।

स्थापना: वक्फ की स्थापना लिखित विलेख, कानूनी दस्तावेज या मौखिक रूप से की जा सकती है।

उपयोग और स्थायित्व: किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि उसका उपयोग लंबे समय तक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा हो।

अपरिवर्तनीयता: एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है, तो उसे दानकर्ता द्वारा पुनः प्राप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

हालाँकि, सभी इस्लामी देशों में वक्फ संपत्तियाँ नहीं हैं। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे देशों में वक्फ की कमी है। इसके विपरीत, भारत में वक्फ बोर्ड सबसे बड़े शहरी भू-स्वामी हैं, जिन्हें एक अधिनियम के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त है। भारत में वक्फ बोर्ड लगभग 8.7 लाख संपत्तियों की देखरेख करते हैं, जिनमें लगभग 9.4 लाख एकड़ भूमि शामिल है, जिसका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ है। इसके अलावा, वक्फ बोर्ड सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में सबसे बड़ा भूस्वामी है।

वक्फ की अवधारणा की उत्पत्ति

भारत में वक्फ का अस्तित्व दिल्ली सल्तनत के शुरु आती दिनों से ही है। सुल्तान मुइज़ुद्दीन सैम ग़ौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद को दो गाँव समर्पित किए और शेखुल इस्लाम को इसका प्रशासक नियुक्त किया। जैसे-जैसे दिल्ली सल्तनत और उसके बाद के इस्लामी राजवंश भारत में फले-फूले, वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ती गई।

ब्रिटिश राज विवाद: 19वीं सदी के अंत में प्रिवी काउंसिल ने वक्फ की आलोचना करते हुए इसे सबसे खराब किस्म की शाश्वतता बताया और इसे अमान्य घोषित कर दिया। हालाँकि, 1913 के मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम ने ब्रिटिश आलोचना के बावजूद भारत में वक्फ प्रणाली को बरकरार रखा।

वक्फ अधिनियम, 1954: स्वतंत्रता के बाद, भारत भर में वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने के लिए वक्फ अधिनियम 1954 पेश किया गया था। इसने विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया (1964 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित) की स्थापना की, जिसे वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 9(1) के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था।

वक्फ अधिनियम, 1995: वक्फ अधिनियम 1995 को भारत में वक्फ संपत्तियों (धार्मिक बंदोबस्ती) के प्रबंधन और विनियमन को मजबूत करने के लिए पेश किया गया था। इस कानून ने अन्य संपत्ति कानूनों पर सर्वोच्च अधिकार प्रदान किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वक्फ संपत्तियों को मुख्य रूप से इस्लामी कानून के तहत प्रशासित किया जाता है, जबकि अतिक्रमण और कुप्रबंधन के खिलाफ सुरक्षा को बढ़ाया जाता है।

संयुक्त वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (यूडब्ल्यूएमईईडी अधिनियम 1995) कर दिया है। 1995 वक्फ अधिनियम ने इस्लामी सिद्धांतों और भारतीय कानून के बीच संतुलन बनाया। 1995 के अधिनियम की धारा 40 को हटाने तथा लम्बे समय से चले आ रहे एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ नियम को बदलने से भारतीय और इस्लामी वक्फ प्रणालियों के बीच की खाई और गहरी हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वक्फ विधेयक के पारित होने को न्याय, पारदर्शिता और समावेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि यह लंबे समय से हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त करेगा। सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों में वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के गठन में

विवाद की जड़ विभाजन

विवाद की जड़ विभाजन में है। 1947 के बाद, भारत और पाकिस्तान ने भारत में मुस्लिमों की संपत्ति हिंदुओं को और पाकिस्तान में हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों को हस्तांतरित करने पर सहमति जताई। 1950 में, भारत ने इवैक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट पारित किया, जिसके तहत पाकिस्तान में प्रवास करने वाले मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को- जिसमें वक्फ संपत्तियां भी शामिल हैं- कस्टोडियन विभाग के अधीन कर दिया गया। कई संपत्तियों को पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कम दरों पर किराए पर दिया गया, जिससे वक्फ किरायेदारी प्रणाली का उदय हुआ, जो वक्फ बोर्डों के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत बन गया। 1954 के वक्फ अधिनियम ने केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की और वक्फ प्रबंधन को केंद्रीकृत किया। 1995 के अधिनियम ने शक्तियों का विस्तार किया और वक्फ न्यायाधिकरणों को सिविल न्यायालयों से उपर अधिकार दिया। हिंदू समूहों सहित वक्फ बोर्ड के आलोचकों का दावा है कि 1995 का कानून वक्फ बोर्ड को किसी भी भूमि पर दावा करने का अधिकार देता है। 2013 में बेहतर पारदर्शिता के उद्देश्य से किए गए संशोधनों को क्रियान्वयन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वक्फ अधिनियम 1999 के अलावा, वक्फ ब्रिटिश काल के मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 द्वारा भी शासित होता है। इस बीच, वक्फ अधिनियम को लेकर राजनीति जारी रही। 2022 में विवाद तब बढ़ गया जब तत्कालीन दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने वक्फ अधिनियम को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। दिसंबर 2023 में, भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने वक्फ अधिनियम को निरस्त करने के लिए राज्यसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया। तनावपूर्ण मतदान में, 53 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 32 ने विरोध किया। पिछले साल वक्फ संशोधन विधेयक के साथ ही मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक भी पेश किया गया था। पहला विधेयक 1999 के कानून पर केंद्रित था, जबकि दूसरा विधेयक 1923 के कानून पर केंद्रित था।

विविधता की कमी, मुतवल्लियों (वक्फ संपत्तियों के संरक्षक) द्वारा शक्ति का दुरूपयोग, संपत्ति के रिकार्ड का अनुचित रखरखाव, स्थानीय राजस्व अधिकारियों के साथ खराब समन्वय, अतिक्रमण, वक्फ संपत्तियों के शीर्षकों का पंजीकरण और घोषणा, वक्फ बोर्डों को दी गई अत्यधिक शक्तियाँ और वक्फ संपत्तियों से न्यूनतम या कोई आय नहीं होना शामिल हैं।

इस विधेयक ने मोदी सरकार, विपक्ष और भारत में मुस्लिम समुदाय को आमने-सामने ला दिया है। इस विधेयक ने मुस्लिम समुदाय को भी विभाजित कर दिया है। जहां कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं कई अन्य इसका समर्थन कर रहे हैं, उनका

कहना है कि यह वक्फ भूमि माफियाओं को लक्षित करता है जिन्होंने करोड़ों की लूट की है और संपत्तियों का दुरुपयोग किया है।

वक्फ बोर्ड के तहत 3,56,051 वक्फ एस्टेट और 8,72,000 से अधिक अचल और 16,713 चल संपत्तियां पंजीकृत हैं, जिनमें से 3.3 लाख रिकार्ड अब तक डिजिटल हो गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने वक्फ (संशोधन) विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाएगा। इसने आरोप लगाया कि मुस्लिम संगठनों ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सामने चिंताएं जताई थीं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। बोर्ड के मुताबिक, वक्फ संपत्तियां नमाज, रोजा और तीर्थयात्रा जैसी मूल इस्लामी प्रथाओं के बराबर धार्मिक महत्व रखती हैं। बोर्ड ने सभी सांसदों से मुस्लिम समुदाय की भावनाओं पर विचार करने और प्रस्तावित संशोधनों को खारिज करने का आग्रह किया और शाहीन बाग जैसे विरोध प्रदर्शनों की चेतावनी दी। संसद में पेश होने

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का महत्व

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 एक महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाना और उसमें सुधार करना है। यह निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:

पारदर्शिता और जवाबदेही: वक्फ संपत्तियों के दुरूपयोग और कुप्रबंधन को रोकने के लिए निगरानी और विनियमन को बढ़ाया गया है।

सुव्यवस्थित प्रशासन: रिकॉर्ड रखने में सुधार और नौकरशाही देरी को कम करने के लिए प्रक्रियाओं को अद्यतन करता है और प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।

संपत्तियों की सुरक्षा: अतिक्रमण और अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है तथा वक्फ बोर्ड की शक्त्यिों में वृद्धि की गई है।

समावेशिता और विविधता: विविधता और सामुदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए वक्फ बोर्डों में अधिक महिलाओं और गैर-मुस्लिमों को शामिल करना अनिवार्य है।

ऐतिहासिक मुद्दों पर ध्यान देना: वक्फ संपत्ति प्रबंधन में भ्रष्टाचार और अकुशलता से निपटने के लिए नए नियम लागू किए गए।

मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग वक्फ संशोधन बिल पर खुश है। खासकर महिलाएं तो इसके समर्थन में हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी है जो बिल के विरोध में खड़े नजर आये। इन्हें लगता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचेगा।

से लेकर इसके पारित होने तक, वक्फ विधेयक पर तीखी बहस, विरोध, विश्वासघात के आरोप और यहां तक कि एक नाटकीय क्षण भी देखने को मिला। एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अगस्त 2024 में दावा किया था कि एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया था कि उनकी पार्टियाँ वक्फ विधेयक का विरोध करेंगी। हालाँकि, दोनों नेताओं ने अंततः इस मुद्दे पर केंद्र का समर्थन किया।

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की आलोचनाएं

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025, लोकसभा में पेश किए जाने के बाद से ही काफी विवाद और आलोचना का विषय बना हुआ है। कई लोग इसे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक मामलों में स्वायत्तता को कमज़ोर करने का प्रयास मानते हैं:

यह विधेयक राज्य प्राधिकरणों को वक्फ संपत्तियों और विवादों पर महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करके नियंत्रण को केंद्रीकृत करता है। इस बदलाव को नौकरशाही के अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है, जिससे संभावित रूप से देरी और कानूनी चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।

धार्मिक अधिकारों का उल्लंघनः आलोचकों का तर्क है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को अनिवार्य रूप से शामिल करने को समुदाय द्वारा अपनी धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।

सरकारी नियंत्रण में वृद्धिः यह विधेयक राज्य प्राधिकरणों को वक्फ संपत्तियों और विवादों पर महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करके नियंत्रण को केंद्रीकृत करता है। इस बदलाव को नौकरशाही के अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है, जिससे संभावित रूप से देरी और कानूनी चुनौतियाँ

पैदा हो सकती हैं।

सामुदायिक परामर्श का अभाव: इस विधेयक की आलोचना मुस्लिम हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श के अभाव के कारण की गई है, जिससे समुदाय के भीतर इसकी वैधता और स्वीकृति को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ का बहिष्कार: विधेयक उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को मान्यता देने के प्रावधानों को हटाता है, जो औपचारिक दस्तावेज के बिना वक्फ उद्देश्यों के लिए ऐतिहासिक रूप से उपयोग की गई संपत्तियों को खतरे में डाल सकता है।

विवादों में वृद्धि की संभावना: वक्फ न्यायाधिकरण के प्राधिकार को हटाने और संपत्ति निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टरों को सौंपने से विवाद बढ़ सकते हैं और समाधान प्रक्रिया जटिल हो सकती है।

गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर चिंताएं: वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की आवश्यकता का आलोचकों द्वारा विरोध किया जाता है, जो तर्क देते हैं कि इस तरह का प्रतिनिधित्व इस्लामी कानून की समझ की कमी के कारण बोर्डों की अखंडता को कमजोर कर सकता है।

वक्फ अधिनियम 1995

1995 में अधिनियमित वक्फ अधिनियम भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को नियंत्रित करता है, जो इस्लामी कानून के तहत धार्मिक, धर्मार्थ या पवित्र उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियां हैं। अधिनियम इन संपत्तियों की देखरेख के लिए राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड की स्थापना को अनिवार्य बनाता है। वक्फ अधिनियम, 1995 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

वक्फ निकायों की भूमिका: अधिनियम में वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्डों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ-साथ मुतवल्ली (वक्फ संपत्तियों के

1995 में अधिनियमित वक्फ अधिनियम भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को नियंत्रित करता है, जो इस्लामी कानून के तहत धार्मिक, धर्मार्थ या पवित्र उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियां हैं। अधिनियम इन संपत्तियों की देखरेख के लिए राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।

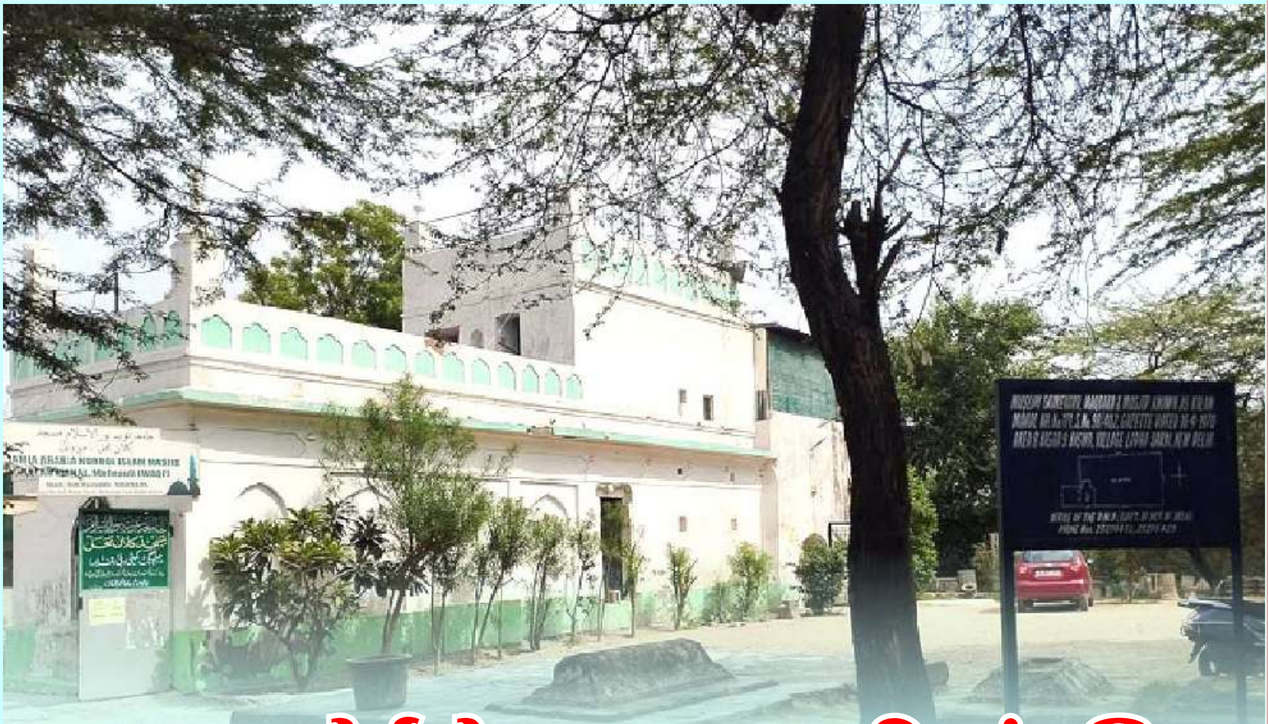

वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति

वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को संभालने का काम करता है। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है और यह अपरिवर्तनीय होती है। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ या सक्षम प्राधिकारी की ओर से नियुक्त मुतव्वली द्वारा किया जाता है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। वक्फ बोर्ड भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रूपये है। उत्तर प्रदेश और बिहार में दो शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड हैं। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है।

देखभालकर्ता) के कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है।

वक्फ न्यायाधिकरणः यह वक्फ न्यायाधिकरणों के अधिकार और सीमाओं को भी परिभाषित करता है, जो अपने अधिकार क्षेत्र में सिविल न्यायालयों के स्थानापन्न के रूप में कार्य करते हैं।

सिविल न्यायालय की शक्तियाँः इन न्यायाधिकरणों के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालयों के समान शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ होती हैं।

बाध्यकारी शक्ति इसके अतिरिक्त, उनके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, तथा किसी भी सिविल न्यायालय को न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित मुकदमों या कानूनी विवादों पर विचार करने की अनुमति नहीं होती है।

वक्फ संशोधन विधेयक 2025

वक्फ संशोधन विधेयक, 2025, जिसका नाम बदलकर उम्मीद विधेयक कर दिया गया है, का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में कई चुनौतियों का

विवादास्पद धारा 40 को लेकर चिंतित मुस्लिम समुदाय

देश का तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति मालिक, वक्फ बोर्ड दशकों से विवादों में उलझा हुआ है। हिंदू संगठन और अन्य आलोचक इस पर जबरन अतिक्रमण, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हैं, कुछ लोग तो कुछ संपत्तियों के दान पर भी सवाल उठाते हैं। सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक विवाद और रूढ़िवादी आख्यानों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य गैर-मुस्लिम विशेषज्ञों को जोड़कर और राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके वक्फ बोर्ड को

समाधान करना है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले ढांचे को आधुनिक बनाना, प्रौद्योगिकी-संचालित प्रबंधन शुरू करना, जटिलताओं को दूर करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। अप्रैल 2025 में संसद के दोनों सदनों में फिर से पेश और पारित किए गए उम्मीद विधेयक का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और यह सुनिश्चित करना है कि वक्फ संसाधनों का सामुदायिक विकास और कल्याण के लिए इष्टतम उपयोग किया जाए।

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के प्रावधान, प्रमुख परिवर्तन

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 भारत

अधिक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी बनाना है। इस विधेयक को विपक्षी दलों और मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों की आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि इसमें हितधारकों से परामर्श नहीं किया गया। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया और दावा किया कि इसका उद्देश्य वक्फ को कमजोर करना और मुसलमानों को द्वितीय श्रेणी के नागरिक बनाना है। मुस्लिम समुदाय वक्फ अधिनियम की धारा 40 को लेकर चिंतित है। संशोधन विधेयक इसे मौजूदा अधिनियम से हटा देता है। यह धारा वक्फ बोर्ड को यह तय करने का अधिकार देती है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत है या नहीं। उनके निर्णय के विरूद्ध अपील करने का कोई प्रावधान नहीं है। संशोधन विधेयक जिला कलेक्टर को निर्णय लेने का अधिकार देता है। यह किसी को भी

में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और समावेशिता को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश करता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में पेश किए गए प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं:

विधेयक का नाम बदलकर उम्मीद रखा गया है, जिसका अर्थ है एकीकृत प्रबंधन सशक्तीकरण दक्षता और विकास

गैर-मुस्लिम सदस्यों का समावेशन: समावेशिता को बढ़ाने के लिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम प्रतिनिधियों को शामिल करने के प्रावधान प्रस्तुत करता है।

वक्फ बाय यूजर हटाया गया: वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ बाय यूजर प्रावधान

बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपील दायर करने की अनुमति देता है। वक्फ अधिकारियों के अनुसार, धारा 40 को व्यापक रूप से गलत समझा जाता है। बोर्ड पहले से ही मौजूदा संपत्तियों के प्रबंधन के लिए संघर्ष कर रहा है और इसके दायरे में और अधिक संपत्ति लाने की कोई इच्छा नहीं है। यह मस्जिदों, दरगाहों या कब्रिस्तानों को वक्फ के रूप में योग्य मानता है या नहीं, यह सत्यापित करने के लिए 1947 से पहले के राजस्व रिकॉर्ड पर निर्भर करता है- दावों को पूरी तरह से आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित करता है।

1. वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की एंट्री

इस विधेयक के सबसे विवादित बिंदुओं में से है स्टेट और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में सदस्य के रूप में गैर-मुस्लिमों की एंट्री। सत्ता पक्ष का कहना है कि गैर-मुस्लिमों की एंट्री के जरिए बोर्ड को ज्यादा समावेशी बनाया जा सकेगा। इस बदलाव के मुताबिक केंद्रीय वक्फ बोर्ड में अधिकतम 4 और न्यूनतम 3 गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति की जा सकेगी। गैर-मुस्लिम सदस्य किसी भी धार्मिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। उसका काम खाली यह सुनिश्चित करना होगा कि दान से संबंधित मामलों का प्रशासन

को समाप्त करता है, जो पहले संपत्तियों को केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए उनके दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर वक्फ के रूप में नामित करने की अनुमति देता था। हालांकि, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार, विधेयक के अधिनियमित होने से पहले पंजीकृत सभी वक्फ-उपयोगकर्ता संपत्तियां अपनी स्थिति बरकरार रखेंगी, सिवाय उन संपत्तियों के जो सरकार के साथ विवादों में शामिल हैं।

धारा 40 को हटानाः वक्फ संशोधन विधेयक 2025, वक्फ अधिनियम की धारा 40 को समाप्त करने का प्रयास करता है, जिसकी अत्यधिक प्रतिबंधात्मकता के कारण आलोचना की गई थी, क्योंकि यह

तय नियमों के अनुसार ही हो।

2. धारा 40 का खात्मा

इस विधेयक में धारा 40 को खत्म करने का प्रावधान किया गया है। धारा 40 के मुताबिक कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं इसका निर्णय करने का अंतिम अधिकार वक्फ के पास था। यानी कि अगर किसी संपत्ति के बारे में वक्फ को लगता है कि यह संपत्ति उसकी है या वक्फ के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, तो वह उसकी जांच कर सकता है और उसे अपने कब्जे में ले सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि धारा 40 वक्फ बोर्ड को अधिकार देता है कि वह खुद ही तय कर ले कि कोई संपत्ति उसकी है या नहीं। इस शक्ति की वजह से बोर्ड काफी ताकतवर हो गया था। कई बार इसका दुरूपयोग भी हुआ। अब इसे समाप्त कर दिया गया है।

वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ भूमि के रूप में नामित करने का अधिकार प्रदान करता था।

वक्फ से ट्रस्टों को बाहर रखा गया: वक्फ संशोधन विधेयक 2025 ट्रस्टों और वक्फों के बीच कानूनी पृथक्करण स्थापित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मुसलमानों द्वारा बनाए गए ट्रस्ट, चाहे विधेयक के अधिनियमित होने से पहले या बाद में, वक्फ विनियमों के अंतर्गत नहीं आएंगे, यदि वे सार्वजनिक दान से संबंधित अन्य वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित हैं।

वक्फ समर्पण के लिए पात्रता: केवल कम से कम पांच वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे मुसलमानों को ही वक्फ को संपत्ति समर्पित

इस मामले में बोर्ड के फैसले को अगर वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता था तो इससे अंतिम माना जाता था और अगर वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड के पक्ष में फैसला करता तो उसे अंतिम माना जाता, उसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी।

3. महिलाओं को देना होगा हिस्सा

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 में एक नया प्रावधान है कि जिसके मुताबिक अगर कोई अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को देना चाहता है तो उसे पहले इसकी महिला हिस्सेदारों को उनका हिस्सा देना होगा उसके बाद ही संपत्ति वक्फ को दी जा सकेगी। इसमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए खास प्रावधान किया गया है।

4. आदिवासियों के जमीन को संरक्षण

वक्फ के मामले में आदिवासियों की संपत्तियों को विशेष संरक्षण दिया गया है। इसके तहत आदिवासियों की जमीनों को वक्फ नहीं किया जा सकता। दरअसल भारत के संविधान की पांचवीं और छठीं अनुसूची के तहत आदिवासियों की जमीन को चिह्नित और संरक्षित किया गया है और इसे उनकी आजीविका का आधार व उनकी संस्कृति की पहचान माना जाता है।

5. खत्म होगा वक्फ बाय यूजर

वक्फ बाय यूजर के मुताबिक अगर किसी संपत्ति का उपयोग लंबे समय से मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक या सामुदायिक कार्यों के लिए किया जा रहा था तो वक्फ वाय यूजर के तहत वक्फ की संपत्ति मान लिया जाता था। इसके लिए किसी भी तरह के औपचारिक दस्तावेज की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सिर्फ उसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी जिसे औपचारिक रूप से यानी लिखित दस्तावेज या वसीयत के जरिए वक्फ को दिया गया हो।

6. कम से कम 5 साल के लिए हो मुस्लिम

वक्फ (संशोधन) विधेयक के तहत किसी संपत्ति को वक्फ को देने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति कम से कम 5 साल से इस्लाम को मान रहा हो यानी कि कम से कम पिछले पांच साल से मुसलमान हो। यह प्रावधान पहले भी था लेकिन 2013 के वक्फ संशोधन में इसे समाप्त कर दिया गया था।

7. ASI की संपत्ति को मिलेगी सुरक्षा

पुरातात्विक संपत्तियों को संरक्षण देने के लिए इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के मुताबिक किसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करते वक्त अगर वह प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 (Ancient Monuments Preservation Act, 1904) या प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958) के तहत संरक्षित है तो इसे अमान्य माना जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि एएसआई के संरक्षण वाली इमारतों को वक्फ के दायरे में नहीं लाया जा सकेगा।

8. कलेक्टर को बड़े पैमाने पर अधिकार

इस नए संशोधन में जिला कलेक्टर को वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन और विवादों के निपटारे के लिए अहम अधिकार दिए गए हैं। पुराने नियम के तहत जिला कलेक्टर की कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। अब तक वक्फ बोर्ड खुद संपत्ति की जांच करता था और वही अपने फैसले को लागू करता था, लेकिन अब सरकारी संपत्ति की पहचान कलेक्टर करेगा। वही इस बात के फैसले देगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं।

करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे 2013 से पहले के नियम बहाल हो जाएंगे।

उत्तराधिकार अधिकारों का संरक्षण: वक्फ संशोधन विधेयक 2025 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित किए जाने से पहले महिलाओं और बच्चों को उनकी सही विरासत मिलनी चाहिए, साथ ही विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुप्रयोग: लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों को कम करने के लिए, विधेयक में संशोधन के प्रभावी होने की तिथि से वक्फ संपत्तियों पर परिसीमा

अधिनियम, 1963 की प्रयोज्यता को लागू किया गया है।

जनजातीय भूमि का संरक्षणः वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान की अनुसूची V और अनुसूची VI के दायरे में आने वाली भूमि पर वक्फ की स्थापना पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाता है।

वक्फ न्यायाधिकरण की संरचनाः प्रारंभिक मसौदे में वक्फ न्यायाधिकरण को घटाकर दो सदस्यों तक सीमित करने का प्रस्ताव था, जबकि संशोधित वक्फ संशोधन विधेयक में संयुक्तसंसदीय समिति (जेपीसी) की सिफारिश के आधार पर तीन सदस्यीय संरचना को बरकरार रखा गया है।

सरकारी संपत्तियों की जांचः वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में यह प्रावधान किया गया है कि वक्फ के रूप में दावा की गई किसी भी सरकारी भूमि या संपत्ति की जांच कलेक्टर से उच्च रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिससे अधिक पारदर्शी और आधिकारिक समीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

विवाद समाधानः संपत्ति विवादों के मामलों में, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के पास यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार होगा कि संपत्ति वक्फ की है या सरकार की, जो मौजूदा वक्फ न्यायाधिकरणों का स्थान लेगा।

अपील तंत्रः इसके अलावा, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है, जो वर्तमान में व्याप्त उस कमी को दूर करता है जिसके तहत उच्च न्यायालय को केवल सीमित पुनरीक्षण शक्तियां ही दी गई हैं।

बढ़ी हुई पारदर्शिताः वक्फ संशोधन विधेयक 2025, मुतवल्लियों (वक्फ संपत्ति प्रबंधकों) को छह महीने के भीतर एक केंद्रीकृत पोर्टल पर सभी संपत्ति विवरण पंजीकृत करने की आवश्यकता के द्वारा वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रशासन पर जोर देता है।

वित्तीय सुधारः वक्फ संस्थाओं को अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान करने के लिए, विधेयक वक्फ बोर्डों को उनके अनिवार्य योगदान को 07 प्रतिशत से घटाकर 05 प्रतिशत कर देता है, जिससे अधिक धनराशि धर्मार्थ गतिविधियों के लिए निर्देशित की जा सकेगी।

आय लेखा परीक्षाः इसके अतिरिक्त, 01 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय उत्पन्न करने वाली संस्थाओं को वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अनिवार्य लेखा परीक्षा से गुजरना होगा।

As Jharkhand turns 24, a reason to celebrate and a reality check

Md Tabrez Alam

Jharkhand, a state that emerged from the resilience and determination of its people, was carved out of Bihar on 15 November 2000. This significant milestone was the culmination of decades of struggle by its people to assert their unique identity and aspirations. The movement, fuelled by the socio-cultural and economic marginalization of the region's indigenous communities, is a testament to the unwavering spirit of Jharkhand's people. Tribal leaders, intellectuals, and grassroots activists envisioned a state that could safeguard its rich cultural heritage while addressing local development needs.

The history of resistance in Jharkhand is long and illustrious. From Birsa Munda's revolutionary movement against the British to the sacrifices of Sheikh Bhikhari Ansari, the struggle was not merely for independence but also for preserving indigenous socio-cultural roots. Post-independence, the demand for a separate state became a rallying point for addressing systemic neglect and exploitation under the erstwhile Bihar administration.

Background

Jharkhand, a land of vibrant culture and history, stands at the crossroads of progress and persistent challenges. Home to over 33 million people, the state is a melting pot of diverse ethnicities, with 26.21 per cent tribal communities, 12.08 per cent Scheduled Castes, and a majority of 61.71 per cent from other

groups. Linguistic diversity thrives here, as 70 per cent of the population speak various Hindi dialects, while about 10 per cent speak Bengali. The religious plurality also characterizes the state, with Hinduism practised by 67.8 per cent, Islam by 14.5 per cent, and around 13 per cent roughly 4.2 million people following "other religions and persuasions" (which includes the Sarna religion of the tribes), alongside smaller communities of Christians, Jains, Buddhists, and Sikhs (Census 2011).

Despite its formation as the 28th state of India on 15 November 2000, commemorating the birth anniversary of the tribal revolutionary Birsa Munda, Jharkhand faces a dichotomy. It boasts rich mineral resources and industrial hubs like Jamshedpur, Ranchi, and Dhanbad, hosting giants such as Tata Steel, Bokaro Steel Plant, and Central Coalfields Limited. Yet, the wealth generated often bypasses the local population, leaving many to migrate for better livelihoods.

The state's growth trajectory, which recorded impressive figures, such as a 12.1 per cent GDP growth in 2015-16, often contrasts sharply with ground realities. Political instability, entrenched social hierarchies, and mistrust between the people and governments (state and centre) hinder equitable development. Landmark legislation like the Chotanagpur Tenancy Act (1908) and Santhal Parganas Tenancy Act (1949) aim to protect tribal lands but are frequently embroiled in political rhetoric. While Jharkhand's urban centres flourish, rural communities grapple with socio-economic marginalization, limited governance outreach, and a stagnant trust deficit.

Efforts to bridge these gaps in Jharkhand's development demand a nuanced approach that respects the state's cultural ethos while fostering citizen-centric development. Addressing the historical grievances, empowering local governance, and promoting inclusive economic growth is essential and urgent for Jharkhand to harness its immense potential and emerge as a beacon of sustainable

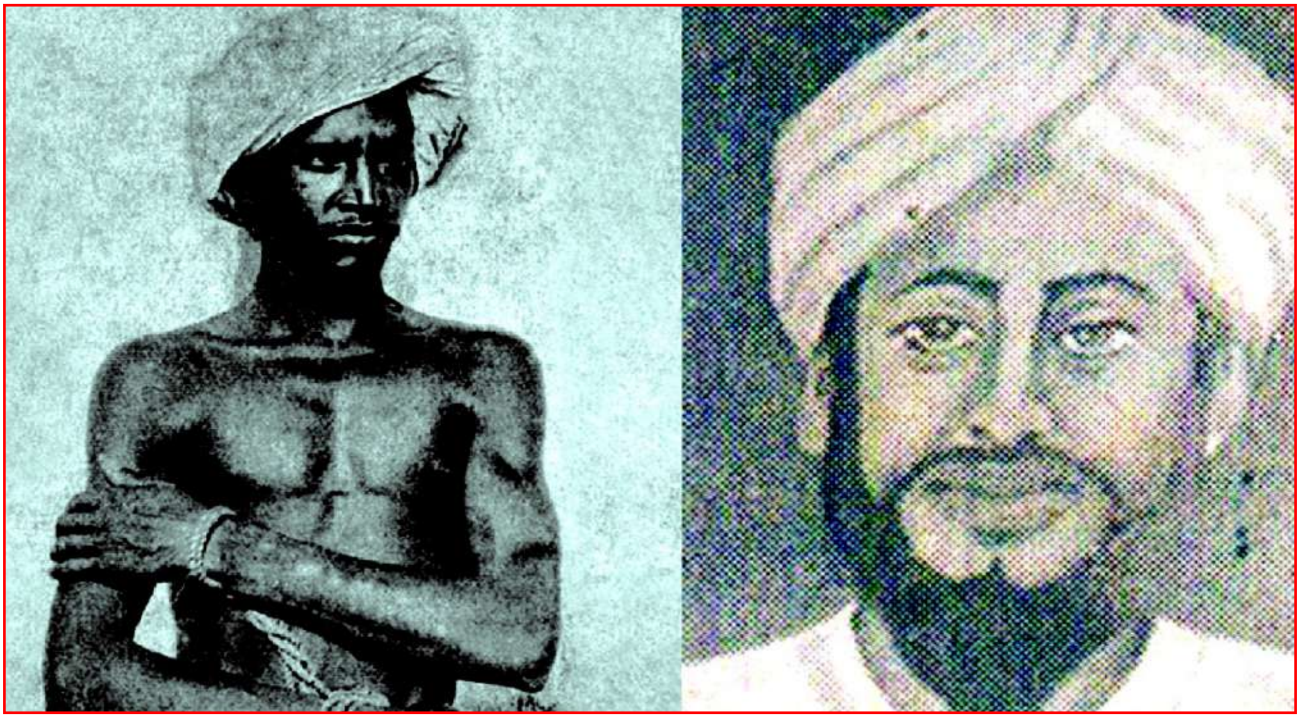

Birsa Munda and Sheikh Bhikhari Ansari

progress in India's federal landscape.

Jharkhand's Socio-Cultural Mosaic

Jharkhand boasts a harmonious, inclusive society deeply rooted in its indigenous heritage. The tribal communities, forming 26.3 per cent of the population, have long been the custodians of this legacy. However, it is important to note that the sociopolitical narrative often sidelines the contributions of smaller communities, including Muslims, who have been integral to the state's evolution. Muslims, comprising 14.5 per cent of the population, have historically played a significant role in Jharkhand's freedom struggle and statehood movement. Figures like Sheikh Bhikhari Ansari and Nadir Ali symbolize their unwavering commitment. Despite their sacrifices, the community faces systemic marginalization, communal stereotyping, and political underrepresentation. The Bengali-speaking Muslim community in Santhal Pargana, for instance, is often unjustly labelled as Bangladeshi infiltrators despite their contributions to the Jharkhand movement. Fuelled by divisive politics, such narratives erode the state's collective heritage and social cohesion. Recognizing and acknowledging the contributions of all communities is crucial for fostering a more inclusive and cohesive society.

Addressing Systemic Challenges

Political representation of Muslims in Jharkhand has declined over the years, with the community often excluded from key decision-making processes. Despite constituting 15 per cent of the population, Muslim candidates receive disproportionately fewer tickets in elections. For instance, the Assembly Elections this year have seen a significant drop in Muslim representation compared to 2019. The lack of political will to ensure equitable representation not only undermines democratic principles but also alienates a substantial portion of the electorate.

Education is not just essential but a fundamental right for socio-economic upliftment. Yet, systemic neglect has left Jharkhand's Muslims lagging behind. The Gross Enrolment Ratio (GER) for Muslims in higher education remains alarmingly low. Policies like the arbitrary conversion of Urdu schools into general schools, implemented in 2022, further alienate the community. Unemployment and lack of access to resources exacerbate the marginalization. The sidelining of skilled Urdu educators and the downgrading of sanctioned posts highlight the institutional neglect faced by the community.

Jharkhand's political landscape is increasingly marred by divisive politics, with right-wing forces exploiting communal fears to further their agendas. This polarization not only marginalizes minorities but also detracts from pressing issues like unemployment, economic disparity, and law and order. The erosion of social harmony is evident in the growing residential segregation of Muslims, limiting their access to quality education and economic opportunities. This marginalization impacts the community and the state's overall progress.

Navigating a Complex Landscape

Jharkhand is among the

wealthiest mineral zones globally, yet its Human Development Index (HDI) remains low. The disparity between resource wealth and public welfare underscores governance challenges and systemic inefficiencies. The rise of communal politics has fragmented Jharkhand's social fabric, creating a hierarchy of belonging that undermines the principles of equality and justice. Tribal communities, despite being the state's backbone, face displacement and exploitation due to industrial and infrastructural projects. Similarly, the systematic sidelining of minorities erodes the state's pluralistic ethos.

Since Jharkhand's formation in 2000, various policies have significantly impacted the socio-economic conditions of both tribal and non-tribal communities. For tribal communities, policies aimed at land protection, such as the Chotanagpur Tenancy Act and the Santhal Parganas Tenancy Act, were meant to safeguard indigenous lands from exploitation. However, the enforcement of these policies has lacked consistency, leading to land alienation and displacement, mainly due to mining activities. Non-tribal communities, too, while benefiting from economic growth in urban areas, struggle with unemployment and a lack of access to essential services in rural settings. The disparity in resource distribution has perpetuated socio-economic inequalities across different groups.

Since Jharkhand's formation in 2000, various policies have significantly impacted the socio-economic conditions of both tribal and non-tribal communities. For tribal communities, policies aimed at land protection, such as the Chotanagpur Tenancy Act and the Santhal Parganas Tenancy Act, were meant to safeguard indigenous lands from exploitation. However, the enforcement of these policies has lacked consistency, leading to land alienation and displacement, mainly due to mining activities. Non-tribal communities, too, while benefiting from economic growth in urban areas, struggle with unemployment and a lack of access to essential services in rural settings. The disparity in resource distribution has perpetuated socio-economic inequalities across different groups.

The history of Jharkhandi Muslims is interwoven with the state's larger narrative of resistance, identity and aspiration. Their contributions have been significant, from participating in the freedom struggle to championing the cause of statehood. Recognizing and integrating this collective heritage into the state's developmental framework is crucial for building an inclusive Jharkhand.

The Way Forward

As Jharkhand celebrates 24 years of its formation, it stands at a crossroads. The state must strike a balance between preserving its rich cultural heritage and meeting the demands of modernization and inclusivity. Addressing systemic inequalities, ensuring equitable representation, and fostering social harmony are imperative for a prosperous future.

A sustainable development of the state would involve implementing responsible mining practices, prioritizing environmental protection and community well-being. This can be achieved by enforcing strict regulations on mining activities, ensuring that local populations benefit from resource extraction through job creation and financial compensation, and investing in infrastructure, education and healthcare. Furthermore, encouraging eco-friendly practices and diversifying the economy beyond mining can contribute to long-term sustainability and prosperity for the local population. Ultimately, prioritizing inclusive development that recognizes and respects the rights of both tribal and non-tribal communities is essential for the state's progress.

The elections for the Jharkhand Assembly are underway Phase 1 was completed on November 13, and Phase 2, the final phase, will take place on 20 November 2024. The results will be declared on November 23. The people of Jharkhand need a government that prioritizes their welfare and can provide basic amenities and opportunities. This development model must include all castes, classes, religions, and ethnic groups.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.